BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1262/2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhande & Others ………..Applicants

VERSUS

State of Madhya Pradesh & Others ………..Respondents

INDEX TO DOCUMENTS

SL. NO.	DESCRIPTION OF DOCUMENTS	ANNEXURE	PAGE NO.
1.	Reply on Behalf of Respondent No.9		3-9
2.	Affidavit in Support		10
3.	Copy of the Agreements executed	R9/1	11-32
4.	Copy of the Surrender Application	R9/2	33-35
5.	Copy of the agreement executed with the M/s R.G. Associates	R9/3	35-57
6.	Copy of the FIR dated 03.08.2025	R9/4	58-65
7.	Copy of the SCN dated 08.08.2025	R9/5	66-67

PLACE:BHOPAL

DATE: 12/10/2025

RAJESH PATHAK RESPONDENT.9

THROUGH COUNSEL SHOEB KHAN

Hotel Imperial Shastri Bridge Model Road Jabalpur MP 482002

Email:shoebkha@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1262/2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhande & Others ....Applicants

VERSUS

State of Madhya Pradesh & Others ....Respondents

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 9

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That, the present Original Application has been filed before this Hon'ble Tribunal alleging large-scale illegal and unregulated sand mining at Chicholi Sand Quarry, District Balaghat, Madhya Pradesh. That the instant reply is being submitted on behalf of Respondent No. 9, Shri Rajesh Pathak, who was the *previous Mine Developer-cum-Operator (MDO)* engaged by the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited (hereinafter "MPSMC") prior to the appointment of M/s R.G. Associates (Respondent No. 8).

2. That, it is most respectfully submitted at the outset that, save and except matters specifically admitted herein, the answering respondent denies and disputes all allegations, statements, and averments contained in the Original Application. That nothing stated therein shall be deemed to be admitted merely for want of specific traverse.

3. That, the answering respondent was appointed as the *MDO* by MPSMC for operation of certain sand quarries in Balaghat District

in 2023 and had surrendered all the Mines/quarries vide application dated 30th December 2023 which eventually expired on 02.04.2024. That upon expiry of his contractual term, the answering respondent duly completed all handover formalities and was formally released from all operational obligations on . Thereafter, on 02.05.2024, M/s R.G. Associates, represented by Shri Ramesh Prasad Dubey, was awarded a fresh contract for the same group of sand quarries, including Chicholi Sand Quarry, valid till 01.05.2027. Copy of Agreements executed and Surrender Application submitted by answering respondent are marked as **Annexure R9/1, R9/2 &** and Agreement executed with RG Associates is marked as **Annexure R9/3**

4. That, it is therefore manifest that at the time of the alleged incidents of illegal mining referred to in the *Joint Committee Report dated 23.12.2024*, the answering respondent had no role, control, or possession whatsoever over the mining lease area. That all alleged irregularities pertain to a period long after the cessation of his tenure as MDO and during period when new MDO M/s R.G. Associates was operating.

5. That, it is further pertinent to note that nowhere in the FIR dated 30.08.2025, or in any other complaint or report, has the answering respondent been named, implicated, or even referred to. That the entire record demonstrates that the alleged acts of illegal excavation were attributed to the subsequent contractor (R-8) and certain local unauthorized miners and refers ot period between 02.05.2024 to 13.12.2024 when M/s R.G. Associates was operating. Hence, the present proceedings are wholly misconceived and unsustainable against the answering respondent. Copy of FIR is marked as **Annexure R9/4**

6. That, during the operational period of the answering respondent as MDO, all mining activities were undertaken strictly within the demarcated lease boundaries as identified and handed over by the District Mining Officer and MPSMC in accordance with Rule 5(1) of the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules, 2019. That the answering respondent never had any role in fixation of coordinates or boundary pillars, which fell within the exclusive domain of the Mining Department.

7. That, the *Joint Committee inspection dated 13.12.2024*, which forms the very foundation of the allegations in the present OA, was carried out months after surrender by the answering respondent and subsequently had relinquished possession and ceased all mining activities. Hence, the findings and observations contained in that report are irrelevant to and non-binding upon the answering respondent and even if any adverse observations are made against the answering respondent it is categorically denied as being unsubstantiated and without any material on record. Even otherwise it is respectfully submitted that the Joint committee report cannot be accepted against the answering respondents as it has been submitted in complicate of the orders dated 20.11.2024 in which the inspection was carried out on 13.12.2024 and report was submitted on 23.12.20224, however admittedly the answering respondent was impleaded as party only on 14.02.2025. That this inspections was carried out and report were prepared when answering respondent was not even party in this Original Application.

8. That, under settled principles of environmental and criminal jurisprudence, liability attaches only to the person in actual control and possession of the site at the time of occurrence. That as the answering respondent had no such control, operational

role, or financial interest during the period of the alleged violations, he cannot be fastened with any vicarious or retrospective liability. That the doctrine of *actus non facit reum nisi mens sit rea* squarely applies, and in absence of actus reus or mens rea, the answering respondent cannot be held culpable for the acts of others.

9. That, the answering respondent further submits that the FIR dated 30.08.2025, the show cause notices issued in 08.08.2025, and the Joint Committee Report all relate to the tenure of M/s R.G. Associates and to events occurring between 2.5.2025 and 13.12.2025, well beyond the answering respondent's period of contract which was surrendered vide application dated 31.12.2023. That the attempt to draw any nexus between those events and the answering respondent is erroneous, factually incorrect, and legally untenable. Copy of Show cause notice issued to RG Associates is marked as **Annexure R9/5.**

10. That, during his operational period, the answering respondent's work was duly monitored by the Mining Department. That the answering respondent had duly fulfilled all statutory obligations under the *M.P. Minor Mineral Rules, 1996* and *Sand Rules, 2019 and Rules of 2022.*

11. That, it is further submitted that after conclusion of his contract period, the answering respondent duly handed over the site to MPSMC, which thereafter re-allotted the mines to Respondent No. 8. Hence, all acts and omissions subsequent to such handover fall exclusively within the responsibility of the succeeding operator and the supervisory authorities.

12. That, in absence of any documentary evidence, physical seizure, or administrative record showing involvement of the answering

respondent, the allegations of illegal mining against him are purely conjectural and cannot sustain judicial scrutiny. That even the *Joint Committee Report* does not record any specific observation, material, or evidence referring to the answering respondent.

13. That, the Hon'ble Supreme Court and this Hon'ble Tribunal have consistently held that environmental liability is *strict but situational*, and it cannot be imposed retrospectively upon a person who was not in control at the time of occurrence.

14. That, applying the said principle, since the answering respondent had ceased to be the MDO well before the period of alleged illegal mining, he cannot be treated as a "Project Proponent" or "Operator" for the purpose of any action under the *Environment (Protection) Act, 1986*, *M.P. Sand Rules, 2019,* or *M.P. Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022*. In fact under the new rules it is the Mining Corporation who is the project proponent and their negligence has also been observed in the Joint Committee Report.

15. That, moreover, the FIR dated 30.08.2025 and the show cause notices issued by the Collector (Mines), Balaghat, are not addressed to or concerning the answering respondent. That the answering respondent is therefore neither a necessary nor a proper party to the present proceedings.

16. That, the answering respondent's inclusion as Respondent No. 9 appears to be purely on a mistaken assumption of continuity of contract, without appreciating that a new tender process and a distinct contractual engagement had commenced in favour of Respondent No. 8. That such inclusion is thus liable to be struck down as misjoinder of party.

17. That, the answering respondent further submits that there exists no cause of action against him, as all material allegations relate to events of 02.05.2025 to 13.12.2025, a period when he had no nexus with the said mining operations. That in absence of any factual or legal foundation, the OA is liable to be dismissed qua the answering respondent.

PRAYER

In view of the facts and circumstances stated hereinabove, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

a- Dismiss the present Original Application as against the answering respondent (Respondent No. 9) as being misconceived, devoid of merit, and not maintainable in law; and

b- Hold that the answering respondent bears no liability whatsoever in respect of the alleged illegal mining mentioned in the Joint Committee Report dated 13.12.2024, or any subsequent proceedings, as the same pertain to a period after cessation of his contractual tenure; and

c- Quash any adverse observation or reference made against the answering respondent in any report, notice, or proceeding arising out of the said matter; and/or

d- Pass such other or further orders as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case and in the interest of justice, equity, and good conscience.

PLACE:BHOPAL

RAJESH PATHAK RESPONDENT.9

DATE: 12/10/2025

THROUGH COUNSEL SHOEB KHAN

Hotel Imperial Shastri Bridge Model Road Jabalpur MP 482002

Email:shoebkha@gmail.com

BEFORE THE HO'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
ORIGIBNAL APPLICATION No 1262/2024

IN THE MATTER OF

SHANKARLAL LAKHANDE & OTHERS. **...APPLICANTS**

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & OTHERS. **...RESPONDENTS**

AFFIDAVIT

I Rajesh Ramlal Pathak, S/o Ramlal Pathak, aged about 67 years, Address- MAIHAR ROAD, BALAGHAT (M.P.) do hereby make oath and state as under:-

1. That, the deponent is the respondent no. 8 in the aforesaid OA, and is therefore authorized for filing the instant reply and is well acquainted with the facts of the case. The deponent is conversant with the facts and circumstances of the above applications per the records available.
2. The reply is drafted on deponent's instructions by deponent's council which is read and understood by me and the same is true and correct.
3. The affidavit is filed in support of the reply filed herewith

NOTARY Reg. No. 38548 LALITA SHUKLA DISTT. BHOPAL (M.P.) VALID UPTO 06.02.2030 GOVT. OF INDIA

राजेश पाठक

VERIFICATION

I Rajesh Ramlal Pathak, the above named deponent, do hereby verify that contents of paras 1 to 3 of above affidavit are true to my personal knowledge.

Verified by me on ......day of 2025.

राजेश पाठक

SWORN BEFORE ME
THE WITHIN NAMED

LALITA SHUKLA
NOTARY & ADVOCATE
BHOPAL (M.P.) INDIA

NOTARIAL

Sr. No. 622/2025
Date 12/10/25

12 OCT 2025

Identified by me
Name [illegible]
Adress [illegible]
Signature [illegible]

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	010105011120230002223		
Total E-Stamp Amount	1000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	01/11/2023 12:03:11		
Service Provider or Issuer Details	BANSHI LAL PARIHAR/SP010116609201500339		
SP/SRO/DRO/HO Details	WARD NO 25 IN FRONT OF MAHULE HARDWARE PREM NAGAR BALAGHAT BALAGHAT BALAGHAT		

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt.- 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	करार

First Party Details

Organization Name	MP STATE MINING CORPORATION LTD
Address	PARYAWAS BHAWAN, BLOCK 'A' II ND FLOOR, JAIL ROAD, ARERA HILLS, BHOPAL MADHYA PREDESH 462011 BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Name	RAJESH KUMAR PATHAK S/O D/O W/O C/O RAM LAL PATHAK
Address	WARD NO 15, BAIHAR ROAD BALAGHAT BALAGHAT Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

[redacted]

Digitally signed by Banshilal Parihar
Date: 2023.11.01 12:03:26 IST

SHRI RAJESH PATHAK * Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

सफल प्रतिभागी के साथ निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप

रेत खदानों से रेत खनन एवं विक्रय हेतु अनुबंध

यह अनुबंध, एक पक्ष के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित की ओर से नामित प्रतिनिधि **पूरनलाल लक्षकार, कनि0 प्रबंधक (सामान्य)** (जिसे इसमें इसके पश्चात " निगम" कहा गया है) एवं जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और द्वितीय पक्ष के रूप में रेत खदानों के समूह की अवस्थिति के जिला बालाघाट के कलेक्टर की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री० आर. के० बातरकर खनि अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात कलेक्टर कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और तृतीय पक्ष के रूप में रेत खदानों के समूह बालाघाट हेतु नियुक्त माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) **श्री राजेश रामलाल पाठक, वार्ड नं0-15, बैहर रोड, बालाघाट (म0प्र0)** के अधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो तो) श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... तहसील .... जिला ....(जिसे इसमें इसके पश्चात " माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0ओ0)" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक ......01...... माह नवम्बर सन दो हजार **2023** को अवधि 01/11/2023 से 31/10/2024 हेतु रेत खदानों के समूह में सम्मिलित रेत खदानों से रेत के खनन एवं विक्रय हेतु के लिए किया गया है।

यत: निगम ने माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) को उपरदर्शित रेत खंदानों के समूह का ठेका स्वीकृत किया है। समूह में सम्मिलित रेत खदानों का सांकेतिक विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है ।

1- <u>परिभाषा -</u>

(1) इस अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67)

(ख) **"निगम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित अथवा दि म0प्र0 स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.:

(ग) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न प्ररूप;

(घ) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) **"ग्राम पंचायत"**, **"जनपद पंचायत"**, **"जिला पंचायत"** और **"ग्राम सभा"** के क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए है;

(च) **"रेत खनिज"** से अभिप्रेत है, साधारण रेत, बजरी जैसा कि खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ड.) में परिभाषित किया गया है;

SHRI RAJESH PATHAK * Baihar Road, Balaghat *

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि
जिला कार्यालय-बालाघाट

खनि अधिकारी
बालाघाट

(छ) **"नगरपालिका"** के वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए है;

(ज) **"भण्डारण अनुज्ञप्ति"** से अभिप्रेत है, रेत खनिज के भण्डारण एवं व्यापार हेतु इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति;

(झ) **"भण्डारण स्थल"** से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान, जहां व्यवसायिक प्रयोजन हेतु रेत खनिज का भण्डारण किया जाता है;

(ञ) **"नगरीय निकाय"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका नगर परिषद;

(ट) **माईनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर (एम.डी.ओ.)**:- निगम द्वारा नियम 8 में विहितप्रक्रिया अनुसार चयनित माईनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर, जो कि उसे आवंटितसमूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

(ठ) **"लेखा वर्ष"** से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रैल शुरू होता है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है।

(ड) **"अनुबंध"** से तात्पर्य इस अनुबंध तथा इसकी ई-निविदा सह नीलामी की आमंत्रण सूचना, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र, उसमें संलग्न परिशिष्ट तथा दस्तावेज से है।

(ढ) **"नियम"** से तात्पर्य म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 से है।

(ध) **"अनुबंध की अवधि"** नियम 9 में यथा विहित । अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

(न) **"लागू अधिनियम"** से तात्पर्य वे कानून हैं जो राज्य शासन या केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हो तथा लागू एवं प्रभावशील हों। इन कानूनों में इनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम तथा अधिसूचना और न्यायालय के निर्णय, डिक्री, ब्योदेश, रिट, आदेश, जो कि इस अनुबंध से संबंधित हैं, भी सम्मिलित हैं।

(प) **"वैधानिक स्वीकृतियाँ"** से तात्पर्य उन सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों, अनुज्ञा-पत्रों, प्राधिकार, सहमति तथा अनुमोदनों से है, जिनकी आवश्यकता प्रचलित कानूनों

SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

केअंतर्गत रेत खदानों के संचालन तथा इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए हो।

(फ) **"व्यवसायिक सदप्रथाएँ"** से तात्पर्य उन प्रथाओं, पद्धतियों, तकनीकों, मानकों दक्षता, अध्यवसाय, बुद्धमत्ता से है जिसकी अपेक्षा सामान्यतया अंतराष्ट्रीय स्तर पर युक्तियुक्त तथा दक्ष एवं अनुभवी ऐसे ही कार्य में लगी एजेंसी, जैसी कि इस अनुबंध में प्रावधानित है।

(ब) **"पक्षो"** से तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले तीनों पक्षों से है। पक्ष का तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले किसी भी एक पक्ष से है।

(भ) **"निगम के प्रतिनिधि"** तात्पर्य निगम के प्रबंध संचालक दि म0प्र0स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि0 भोपाल या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि प्रबंध संचालकअथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में इस अनुबंध के अंतर्गत किया जाता है।

(म) **"प्रबंध संचालक"**से तात्पर्य दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक से है।

उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) मध्यप्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है एवं प्रदेश में विभिन्न खनिजों के उत्खनन एवं वाणिज्य में संलग्न हैं। निगम को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा आवंटित किया गया है तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियाँ यथा माईनिंग प्लान का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त करने का दायित्व दिया गया है एवं उक्त खदानों का निवर्तन, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 (रेत नियम, 2019) के प्रावधानों के अंतर्गत किए जाने का कार्य दिया गया है।

निगम को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा आवंटित किया गया है। निगम द्वारा इन रेत खदानों से उत्खनन एवं विक्रय का कार्य, नियम8 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) से कराया जावेगा।

उक्त दायित्व की पूर्ति हेतु निगम द्वारा ई निविदा सह नीलामी के माध्यम से एम0डी0ओ0 का चयन किया गया है। उक्त निविदा में रेत खदानों के समूह **बालाघाट** हेतु उच्चतम बोली रूपए **84,84,04,885/-** प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागी **श्री राजेश रामलाल पाठक** को उच्चतम प्रतिभागी घोषित किया गया। **श्री राजेश रामलाल पाठक** को पत्र क्रमांक **रेत/न0क्र0/2023/485** दिनांक **11-08-2023** के माध्यम से सूचना पत्र जारी किया गया एवं वांछित सुरक्षा राशि तथा वचनबंध प्रस्तुत करने पर, शासन के अनुमोदन उपरांत आज 01/11/2023 को उपरोक्त अनुसार रेत खदानों के समूह **बालाघाट** हेतु अनुबंध निष्पादित किया जाता है।

SHRI ... Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

... बालाघाट

2- कार्य का स्वरूप- इस अनुबंध का मूल तत्व. वार्षिक ठेका राशि के भुगतान पर निश्चित समयावधि हेतु समूह में सम्मिलित एवं निगम को खनिपट्टा पर आवंटित रेत खदानों से. रेत का उत्खनन एवं विक्रय का अधिकार दिया जाना है। ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र में दी गई खदानों की सूची, सूची में दर्शित खदानों का क्षेत्रफल एवं मात्रा आदि सांकेतिक मात्र है।

इस अनुबंध के अनुसरण में एम0डी0ओ0 को समूह की खदानों का तारीख 01/11/2023 से तारीख 31/10/2026 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा। एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि ठेके पर दिए गए क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

एमडीओ द्वारा समूह में सम्मिलित खदानों की तत्सयम उपलब्ध वैधानिक अनुमतियों की सीमा तक उत्खनन किया जा सकेगा। यह मात्रा ठेका राशि के विरूद्ध उपलब्ध कराई गई रेत की मात्रा के अधीन होगी। एमडीओ. नियम के प्रावधानों के अधीन उक्त मात्रा का विक्रय एवं परिवहन करने हेतु स्वतंत्र होगा। अनुबंध के वर्ष की समाप्ति पर तत्समय शेष रेत की मात्रा सामान्यत: व्यपगत/ लैप्स हो जावेगी।

इस प्रकार रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार किए जाने पर लागू समस्त नियमों, खनिपट्टा तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में त्रुटि एवं नियमों के उल्लघंन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगा तथा शासन/निगम उक्त नियमों उक्त के उल्लघंन की जवाबदेही से पूर्ण रूप से विमुक्त होगा। इस अनुबंध के माध्यम से एमडीओ द्वारा यह बिना शर्त यह सहमति दी जाती है की वह समस्त प्रकार के उल्लघंनों पर लागू आपराधिक उत्तरदायित्व को स्वयं ग्रहण करेगा। किसी भी न्यायालय प्राधिकरण अथवा प्राधिकारी द्वारा यदि खनन पट्टा धारक (निगम) के विरूद्ध कोई पैनाल्टी अथवा जुर्माना आदि लगाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति एम0डी0ओ0 द्वारा की जावेगी। यदि एम0डी0ओ0 के विरूद्ध पैनाल्टी अथवा जुर्माना लगाया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी को वह, उसका भुगतान करेगा।

3- **निविदा में सम्मिलित रेत समूह की अवधि** - समूह की खदानों की ठेका अवधि 03 वर्ष होगी। जिसमें अधिकतम दो वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि राज्य शासन द्वारा की जा सकेगी। प्रथम वर्ष की ठेका अवधि की गणना अनुबंध दिनांक से की जाएगी।

अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

4- **सुरक्षा राशि-** उच्चतम प्राप्त नीलामी राशि का 25% सुरक्षा राशि के रूप में देय होगा। यह सुरक्षा राशि अनिवार्यत:, पूर्व में ऑन-लाईन नगद जमा ई.एम.डी. राशि के समायोजन उपरांत, निगम द्वारा संधारित खाते (निविदा सूचना में यथादर्शित) में जमा की जावेगी।

यदि सफल निविदाकार द्वारा ई.एम.डी.. बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की गई हो तो सुरक्षा राशि की संपूर्ण राशि जमा करने पर ई.एम.डी. के रूप में प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी वापस की जावेगी।

प्रथम माह की किश्त अग्रिम में देय होगी।

उक्त सुरक्षा राशि ठेके के निबंधनों और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समपहत किए जाने योग्य होगी;

5- **ठेका राशि का निर्धारण एवं भुगतान-** यह कि एम0डी0ओ0 ई-निविदा सह नीलामी की शर्तों के अनुसार निम्नानुसार राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है -

2/12/2023

SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road, Balaghat

पूरनलाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि
जिला कार्यालय-बालाघाट

(क) ई–निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम मूल्य की राशि, जिसके क्रम में प्रतिभागी का आशय पत्र दिनांक 04–08–2023 जारी किया गया, वार्षिक ठेका राशि होगी एवं ठेके के प्रथम वर्ष में वार्षिक ठेका राशि ही देय होगी। ठेके के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं नियम 9 अनुसार विस्तारित अवधि में वार्षिक ठेका राशि से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा।

समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य– रूपए 37,50,00,000/–
उच्चतम मूल्य की राशि (वार्षिक ठेका राशि) – रूपए 84,84,04,885/–

क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष में देय राशि (रूपये)	द्वितीय वर्ष में देय राशि (रूपये)	तृतीय वर्ष देय राशि (रूपये)
1	वृध्दि का प्रतिशत	–	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2	वृध्दि राशि	–	8,48,40,489/–	8,48,40,489/–
3	कुल देय राशि	84,84,04,885/–	93,32,45,374/–	1,01,80,85,863/–

(ख) वार्षिक ठेका राशि मासिक किश्तों में माह के प्रथम दिवस को अग्रिम में देय होगी। यदि माह का प्रथम दिवस शासकीय अवकाश हो तो मासिक किश्त इसके अगले दिन जमा करायी जाएगी। प्रथम किश्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तारीख को ही देयहोगी। ठेका राशि की गणना एवं भुगतान अनुबंध दिनांक से की जायेगी। माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में वार्षिक ठेका राशि के क्रमशः चार,तीन एवं तीन प्रतिशत एवं शेष राशि अन्य 9 माहों में समान किश्तों में देय होगी। ठेका अवधि के प्रथमएवं अंतिम माह में किश्त की गणना समानुपातिक रूप से की जाएगी।

(ग) मासिक किश्त की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर समूह की खदानों की ई.टी.पी. (स्टॉक सहित) चालू की जा सकेगी। किन्तु माह के अंत तक मासिक किश्त की सम्पूर्ण राशि, मय ब्याज के जमा करनी होगी अन्यथा ई०टी०पी० (स्टॉक सहित) पर रोक लगा दी जावेगी। जमा राशि की समानुपातिक रेत की मात्रा एम०डी०ओ० को निवर्तन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी।

(घ) यदि किसी माह में निकास की जाने वाली रेत की मात्रा के लिए देय राशि, उस माह हेतु संदत्त किश्त राशि से अधिक है तो, अतिरिक्त राशि, ठेका किश्त के अतिरिक्त पृथक से अग्रिम में संदेय होगी। उक्त राशि अतिरिक्त उठाव की गई रेत की मात्रा एवं समूह की स्वीकृत ठेका राशि एवं निविदत्त मात्रा के आधार पर निकाली गई प्रति घनमीटर राशि का गुणनफल होगा। उक्त राशि न चुकाये जाने की स्थिति में निगम/कलेक्टर खनिज परिवहन हेतु अपेक्षित अभिवहन पारपत्र जारी किया जाना रोक देगा। इस प्रकार जमा अतिरिक्त राशि एवं उठाई गई/उठाई जाने वाली मात्रा, वार्षिक ठेका राशि एवं मात्रा अनुसार समायोजन योग्य होगी।

(ङ) ठेका राशि के अतिरिक्त समस्त अन्य कर, शुल्क, शासकीय भुगतान पृथक से देय होंगे। यह राशि म०प्र० रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 10 के अनुसार जो रकम एतदद्वारा ठेका राशि कहलाएगी।

SHRI RAJESH PATHAK
Baihar Road

परन लाल लक्षकार

(च) एम0डी0ओ0 द्वारा ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम निगम के रेत पोर्टल https://mining.mp.gov.in के माध्यम से ऑन-लाईन जमा की जावेगी।

(छ) यदि एम0डी0ओ0 नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो एम0डी0ओ0 के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों एवं उसे आवंटित रेत भण्डारण की ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा एम0डी0ओ0 को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए :

उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 18 प्रतिशत वार्षिक अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिश्चित दर से ब्याज सहित, देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, निगम खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, उपरोक्तानुसार यदि मासिक किश्त की देयता की तारीख के एक माह के भीतर एम0डी0ओ0 राशि जमा करने में असफल रहता है तो, निगम द्वारा ठेका निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त नहीं होती तब तक एम0डी0ओ0 के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों एवं उसे आवंटित रेत भण्डारण के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी। तथापि शासन, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0एवंनिगम द्वारा अन्य वैधानिक अथवा व्यवसायिक कारणों से भी खदानों तथा एम0डी0ओ0 को आवंटित रेत भण्डारण की ईटीपी रोकी जा सकेगी।

6- एम0डी0ओ0.ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा:

7. **<u>वैधानिक अनुमतियाँ -</u>**

7.1 वैधानिक अनुमतियाँ- वैधानिक अनुमतियाँ निम्नानुसार हैं:-

7.1.1 खनन योजना- निगम द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियमों के तहत तैयार की जाएगी।

7.1.2 पर्यावरण स्वीकृति - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

7.1.3 जल एवं वायु सम्मति - जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

7.1.4 अनुमत मात्रा - खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, जल एवं वायु सम्मति, इनमें से जो भी कम हो तक ही खनन अनुज्ञेय होगा, जो कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा के अधीन होगा।

7.2 वैधानिक अनुमतियों के बिना अथवा वैधानिक अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा मे खनन किए जाने पर एम0डी0ओ0 के विरूद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन,

SHRI RAJESH ... Baihar Road ...

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 एवं अन्य लागू नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

7.3 रेत खदानों के समूह के एम0डी0ओ0 द्वारा रेत खनन विभिन्न वैधानिक अनुमतियों के अधीन किया जायेगा।

7.4 चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों की विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां यथा खनन योजना का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्मति आदि निगम के प्रबंध संचालक द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा, निगम के पक्ष में प्राप्त जा चुकी/जा रही है। इन वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

7.5 समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तों के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तो के उल्लघन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।

7.6 समूह में सम्मिलित सभी चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों जिनकी वैधानिक स्वीकृतियॉ प्राप्त हो चुकी है, की वैधानिक स्वीकृतियों की अनुमत मात्रा का योग ही, समूह की कुल खनन योग्य उपलब्ध मात्रा होगी तथा निविदा प्रकाशन की तारीख तकजिन खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो, निगम द्वारा उन खदानों को भी, आवेदन में उल्लेखित मात्रा के आधार पर निविदा में सम्मिलित किया गया है। ऐसी खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में समूह के सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जावेगा। ऐसी खदानों की स्वीकृतियांसक्षम प्राधिकारी से प्राप्त न होने की स्थिति में/विलम्ब होने में, समूह की मात्रा अथवा ठेका राशि कम करने संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं ऐसी जमा ठेका राशि, जिसके विरूद्ध वैधानिक अनुमतियों के अभाव में रेत उठाव नहीं हो पाया है, की मात्रा का निवर्तन एम0डी0ओ0 द्वारा शेष ठेका अवधि में किया जा सकेगा। जिसके विरूद्ध पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

समूह में शामिल रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों की निविदा जारी दिनांक की अद्यतन स्थिति निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट-9 पर है।

7.7 (क) ठेका के संचालन की अवधि के दौरान कोई नवीन खदान के लिए प्रस्ताव कलेक्टर को प्राप्त होता है, तो कलेक्टर, आवश्यक जांच के पश्चात निकटतम उपयुक्त समूह में खदान शामिल कर सकेगा। इस नवीन खदान की अवधि ठेका की समाप्ति की अवधि तक मान्य होगी।

समूह की कुल मात्रा की अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा की क्षमता तक नवीन खदानें जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियाँ निगम द्वारा प्राप्त की जायेगी, जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जायेगा।"

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

बालाघाट

SHRI RAJESH ... Baihar Road ...

(ख) समूह के एम0डी0ओ0 को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह ऐसी नवीन घोषित खदानों को पूर्व से निविदा में सम्मिलित खदानों, जो कि वैधानिक कारणों से संचालन योग्य नहीं है अथवा समूह में निविदत्त मात्रा से कम मात्रा की वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त है, को उक्त मात्रा की सीमा तक प्रतिस्थापित कर सकेगा।

उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापन न किये जाने पर खदान से रेत निकासी हेतु समूह हेतु (समूह की तत्समय प्रचलित ठेका राशि/निविदत्त मात्रा) के आधार पर राशि जमा कराई जाएगी। समूह ठेके के लिए कुल मात्रा की अनुमति अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा ही नवीन खदान के मामले में जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां निगम द्वारा प्राप्त की जावेगी जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जावेगा।

(ग) यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा निविदत्त मात्रा से कम है, तो एम0डी0ओ0 के अनुरोध पर निविदत्त मात्रा की 20 प्रतिशत मात्रा को आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि (समूह की तत्समय प्रचलित ठेका राशि/निविदत्त मात्रा)जमा की जानी होगी। समस्त वैधानिक अनुमतियों का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। इस हेतु एम0डी0ओ0 द्वारा अनिवार्य रूप से पूर्द के वर्ष के अंतिम दिवस तक निविदत्त मात्रा का से कम मात्रा का उत्खनन किये जाने की सूचना एवं उक्त मात्रा को आगामी वर्ष में उठाने की अनुमति बावत अभ्यावेदन निगमको प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) यदि एम0डी0ओ0 किसी वर्ष में, उस वर्ष की निविदत्त मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे उसके आवेदन अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की निविदत्त मात्रा के विरूद्ध समायोजित की जाएगी।

किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. <u>अनुबंध का निष्पादन -</u>

8.1 सफल प्रतिभागी, आशय पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर परिशिष्ट-3 पर संलग्न प्रारूप में निगम को इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि, अनुमत सीमा तक ही खनन किया जाएगा और वह नियम 14 के उप-नियम (2) के अनुसार समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि का निक्षेप करेगा और वह समूह में सम्मिलित किसी विशिष्ट खदान का अनुबंध निष्पादन हेतु तैयार है ।

8.2 सफल प्रतिभागी द्वारा उक्त वचन बंध के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

(i) आयकर स्थाई खाता क्रमांक (पेन) की प्रति

(ii) जी.एस.टी. नंबर प्रमाण पत्र की प्रति

SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

8

(iii) निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑन-लाईन करार/वचन पत्र/ सहमति पत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड), निविदाकार का विवरण, प्राधिकार पत्र, स्थल भ्रमण प्रमाणपत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड) की मूल प्रति

(iv) निविदाकार के संबंधी दस्तावेज की प्रति,

i.	व्यक्तिगत के लिये	आधार कार्ड/पेन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी/अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं साझेदारी डीड
iii.	कंपनी के लिये	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति एवं मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र

(v) निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति।

8.3 वचनबंध प्रस्तुत करने के उपरांत रेत समूह ठेका का त्रिपक्षीय अनुबंध का निष्पादन राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत कराया जावेगा। त्रिपक्षीय अनुबंध कलेक्टर एवं निगम के अधिकृत प्रतिनिधि तथा सफल निविदाकार द्वारा निष्पादित किया जावेगा। संपूर्ण खदानों की सूची अनुबंध का भाग होगी। अनुबंध का भारतीय स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन एम.डी.ओ. के व्यय पर पंजीयन कराया जाएगा। खदानवार वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने पर, पृथक-पृथक खदानवार ठेका अनुबंध किया जावेगा।

8.4 यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा। परंतु यह कि आशय पत्र धारक अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के उपस्थित होने के 5 दिवस के भीतर अनुबंध का निष्पादन सभी पक्षों के लिये अनिवार्य होगा।"

8.5 इस तरह अनुबंधित आशय पत्र धारक माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) होगा, जो कि आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

9. खनन संक्रियाओं का प्रारंभ किया जाना -

9.1 सफल प्रतिभागी, अनुबंध का निष्पादन तथा पंजीयन के पश्चात किन्तु खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व निगम एवं कलेक्टर को इस आशय की सूचना देगा। निविदा प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात खदान क्षेत्र में उपलब्ध खनिज मात्रा, पहुंच मार्ग तथा अन्य संबंधित कारणों के संबंध में आपत्तियों स्वीकार योग्य नहीं होगी।

SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road, Balaghat

पूरनलाल लश्कार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

9.2 अनुबंध में उल्लिखित अनुसार निर्धारित तिथि को समूह की ठेका राशि जमा करने की शर्त पर, जब भी खदान की वैधानिक अनुमति प्राप्त होती है, उनमें खनन संक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। समूह की सभी खदानों की आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ एक साथ प्राप्त किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।"

10. <u>ठेकों का निरस्त किया जाना -</u>

10.1 निगम द्वारा ठेका समूह में सम्मिलित खदानों के एम0डी0ओ0 द्वारा इन नियमों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लघन, देय राशि विहित समयावधि में जमा न करने के कारण, पर्यावरण नियमों का सम्यक रूप से पालन नहीं करने, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जाना पाये जाने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने या अन्य गंभीर त्रुटि किए जाने की स्थिति में नियम तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लघन का विस्तृत विवरण देते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करेगा। निगम के प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा एम0डी0ओ0 से उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त उत्तर का परीक्षण करने के पश्चात, सनुवाई का उचित अवसर देते हुए या तो ठेका निरस्त कर सकेगा या सम्यक रूप से अन्य कोई निर्णय ले सकेगा।

ऐसे एम0डी0ओ0 जिनका रेत खदानों के समूह का ठेका निरस्त किया जाता है, उन्हे विभाग की ब्लैक लिस्ट में शामिल किये जाने का निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा। ये एम0डी0ओ0 ठेका निरस्ती की तिथि से तीन वर्ष हेतु विभाग के किसी भी ठेके में भाग लेने हेतु प्रतिषिद्ध होंगे।

10.2 ठेका निरस्त करने के ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरूद्ध उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

10.3 प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।"

11. **समूह का समर्पण -**

समूह का समर्पण - एम0डी0ओ0, निगम को किसी भी समय तीन माह अग्रिम में सूचना देकर समूह का समर्पण कर सकेगा। निगम/राज्य शासन को देय समस्त शोध्यों का भुगतान करने के पश्चात उक्त ठेका समर्पण, राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर, स्वीकार किया जा सकेगा।

परन्तु एक बार समूह के समर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात यह अविखण्डनीय होगा तथा राज्य शासन निर्धारित समयावधि में ऐसा समर्पण स्वीकार करेगा तथा एम0डी0ओ0, अनुबंध की निबंधनों एवं शर्तों के अधीन समूह का कब्जा सौंप देगा:

परन्तु यह भी कि, समूह के समर्पण का आवेदन प्राप्त होने पर निगम द्वारा समूह की पुन: निविदा हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, अनुबंधित ठेका समाप्ति के छह माह पूर्व समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचार में नहीं लिया जाएगा।

21.12.19
SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि
जिला कार्यालय-बालाघाट

खनि अधिकारी
बालाघाट

12. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य एम0डी0ओ0 द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो निगम द्वारा ठेका रद्द किए जाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में निगम/राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

13. **(क) <u>ई.एम.डी./सुरक्षा राशि की जप्ती -</u>**

ई.एम.डी./सुरक्षा राशि निम्न कारणों से जप्त करने का अधिकार निगम को होगा:-

(i) यदि प्रतिभागी वैधता अवधि (जो कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से छः माह होगी) में अपना ऑफर वापिस ले लेता है।

(ii) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 के पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं हैं तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

यदि एम0डी0ओ0 द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो उसका ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि सफल प्रतिभागी के पक्ष में सूचना/आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या उसके द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा उसका सूचना/आशय पत्र/ अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकारप्रतिभागी को अयोग्य घोषित किये जाने अथवा एम0डी0ओ0 के अनुबंध निरस्त किये जाने के फलस्वरूपरूप उसकी ई0एम0डी0 राशि/ सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि जप्त की जावेगी तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 को हुई किसी भी हानि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

(iii) मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र एवं अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत ठेका निरस्त किये जाने पर ।

(iv) यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर जिला समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा।

(v) प्रतिभागी दिवालिया न हो एवं उस पर मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध एवं म0प्र0 राज्य खनिज ***निगम का, निर्विवाद रूप से स्थापित*** कोई शोध्य बकाया न हो एवं यदि ऐसे कोई शोध्य पाये जाते हैं तो उसकी जमा ई0एम0डी0/सुरक्षा राशि रकम से समायोजन योग्य होंगे।

14. **<u>भविष्य निधि तथा लेबर संबंधी नियमों का पालन:-</u>**

प्रचलित श्रम नियमों के अनुसार एम0डी0ओ0 को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मजदूरों से संबंधितबीमा, पी.एफ. इत्यादि नियमों का पालन करना होगा। एम0डी0ओ0 को पाक्षिक लेबर रिपोर्ट

SHRI RAJESH PATHAK, Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

11

निगम/कलेक्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एम0डी0ओ0 द्वारा उक्त नियमों के पालन न करने की स्थिति में प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड के भुगतान का संपूर्ण दायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम पर अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड आदि की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि एम0डी0ओ0 को आवंटित क्षेत्र में रेत उठाव एवं बिक्री के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के फलस्वरूप धन-जन की हानि होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम/कलेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. एम0डी0ओ0, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

16. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए एम0डी0ओ0 को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर/निगम को ठेके की पूरी अवधि केदौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या एम0डी0ओ0 के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

17. समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तो के उल्लघन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।

18. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में निगम/कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान मे एम0डी0ओ0 द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा ।

19. एम0डी0ओ0 स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

20. एम0डी0ओ0, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

21. एम0डी0ओ0, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगी।

22. एम0डी0ओ0, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

21/11/23

SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

23. एम0डी0ओ0 खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।
24. एम0डी0ओ0, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।
25. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथातथा एम0डी0ओ0 को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
26. एम0डी0ओ0, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।
27. एम0डी0ओ0, खनन से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हे प्रस्तुत करेगा।

एम0डी0ओ0, नीचे दिए गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व निगम के संबंधित संभागीय/उप कार्यालय एवं कलक्टर को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गए खनिज का प्रारंभिक स्टॉक	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा	माह में स्टॉकमें अंतरित किए गए खनिज की मात्रा	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

28. एम0डी0ओ0, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं निगम के संबंधित संभागीय/उप कार्यालय को देगा।
29. एम0डी0ओ0, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता, वैधानिक अनुमतियां प्राप्त न होने अथवा समुचित निविदत्त मात्रा हेतु वैधानिक अनुमति उपलब्ध न होने तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में निगम/कलेक्टर के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

30. **ई-ट्रांजिट पास की अनिवार्यता:-**

निगम द्वारा प्रदेश में रेत खनिज के ठेकों के संचालन हेतु मैप आईटी के माध्यम से रेत पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। खदान से रेत का परिवहन बिना ई-ट्रांजिट पास के नहीं किया जावेगा। एम0डी0ओ0 को वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार ही ई-ट्रांजिट पास जारी किये जावेगे। प्रत्येक वाहन

21/2/19

SHRI RAJESH PATHAK Balhar Road, Balaghat

पूरन लाल लिखीकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

जो कि खनिज विभाग से खनिज परिवहन हेतु पंजीकृत हैं, के साथ तथा प्रत्येक ट्रिप हेतु नियमानुसार वैध ई-ट्रांजिट पास जारी करना अनिवार्य है। ई-ट्रांजिट पास एम0डी0ओ0 के अधिकृत कर्मचारी द्वारा जारी किया जावेगा। एम0डी0ओ0 का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वाहन/ट्रिप के लिये ई-ट्रांजिट पास जारी करावें। इस संबंध में अनियमितता बरतने पर एम0डी0ओ0 को ठेका समाप्त करने संबंधी कारण बताओं नोटिस दिया जावेगा तथा बोलीकर्ता की सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा राशि जप्त कर ली जावेगी।

31. **<u>परिवहन की व्यवस्था:-</u>**

एम0डी0ओ0 को खदान पहुंच मार्ग, कच्चा पुल आदि का निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। यदि पहुंच मार्ग में कोई निजी/शासकीय भूमि आती है तो उसका प्रबंध बोलीकर्ता को स्वयं के व्यय पर ही करना होगा। एम0डी0ओ0 को उसे आवंटित क्षेत्र में रात्रि में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।

32. जीपीएस/Vehicle location tracking device/विहित अनुसार समकक्ष तकनीकी यंत्र स्थापित वाहनों से रेत का परिवहन किया जाना एवं खदान पर निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन्स के सी.सी.टी.वी. केमरा स्थापित किया जाना, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात अनिवार्य होगा।

33. **<u>ठेके के दौरान राज्य शासन/निगम के निर्देश आदि -</u>**

राज्य शासन/प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम ठेका कार्य प्रारंभ होने के पूर्वएवं ठेके की अवधि के दौरान किन्ही अन्य व्यवहारिक शर्तो का समावेश करने तथा कार्यपालिक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगें, जो एम0डी0ओ0 के लिये बंधनकारी होगा। ठेके की शर्तो की व्याख्या का अधिकार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम का होगाएवं उनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

34. निजी भूमि पर उपलब्ध रेत खनिज का निवर्तन अनुबंधित एम0डी0ओ0 द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय - 8 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

35. रेत खनिज के भण्डारण हेतु मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय -9 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

36. समूह का ठेका निरस्त अथवा समर्पित होने की स्थिति में एवं समूह में विधिमान्य एम0डी0ओ0 नियुक्त न होने की स्थिति में, रिक्त समूह की अंतिम स्वीकृत दर अथवा रिक्त समूह के जिले में स्वीकृत अन्य ठेको की उच्चतम दर पर उक्त उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 को अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध तक, जो भी कम हो, की अवधि हेतु सहमति के आधार पर संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दी जाने की स्थिति में द्वितीय उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 का समूह संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। यही प्रक्रिया तृतीय एवं आगामी क्रम के एम0डी0ओ0 के लिये भी अपनाई जायेगी।

उदाहरणार्थ:- जिले में गठित समूह- क, ख, ग, घ

रिक्त समूह - ख

उच्चतम स्वीकृत निविदा दर वाले जिले (घटते क्रम में) - ग, ख, क, घ

SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

खनि अधिकारी

रिक्त समूह आवंटन की दर - समूह 'ग' की दर के समतुल्य

समूह संचालन हेतु प्रथम आमंत्रण - समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 को

समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय

आमंत्रण - समूह 'क' के एम0डी0ओ0 को

समूह 'क' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय

आमंत्रण - समूह'घ' के एम0डी0ओ0 को

परन्तु रिक्त समूह के जिले में अन्य ठेका स्वीकृत न होने पर, रिक्त समूह के जिले अथवा समूह के जिले की भौगोलिक सीमा से लगे हुए यथा विहित जिले के समूहों की उच्चतम दर पर, उक्त उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले अनुबंधित एम0डी0ओ0 को, अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध, जो भी कम हो, की अवधि हेतु संचालन हेतु सहमति के आधार पर आवंटित किया जा सकेगा। उक्त एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने पर उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया से जिले की सीमा से लगे हुये अन्य जिले के एम0डी0ओ0 को आवंटन किया जावेगा।

37. यदि किसी खदान से उत्खनन की गई सामग्री का विक्रय केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश द्वारा रोका जाता है तो इस कारण उपगत किसी हानि के लिये राज्य सरकार, निगम जिम्मेदार नहीं होंगे ।

38. राज्य सरकार द्वारा खदान समूह या किसी समूह में शामिल खदान विशेष से संबंधित समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश का एम0डी0ओ0 पालन करेगा।

39. अनुबंध पर स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय होगा।

40. **<u>प्रयोजन -</u>**

एम0डी0ओ0, उस प्रयोजन से, जिसके लिये उसको ठेका दिया गया है, से भिन्न प्रयोजन के लिये दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

41. **<u>छूट-</u>** नियम-4 अनुसार रियायत की पात्रता रहेगी।

42. **<u>आदेशों के पालन में क्षतिपूर्ति अमान्य -</u>**

निविदा के संबंध में किसी भी न्यायालयीन आदेश, स्थगन आदेश, यथा स्थिति आदेश, अथवा अन्य कोई अंतरित आदेश एवं कंडिका 33 के अनुसार जारी आदेश आदि के परिप्रेक्ष्य में एम0डी0ओ0 द्वारा क्लेम की गई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जावेगी ।

43. **कब्जे का पुनर्ग्रहण:-**

(क) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खनन मंजूर

SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

की गई हो, समाप्त हो जाती है, तो एम0डी0ओ0. रेत खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चिय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(ख) जहां एम0डी0ओ0 रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति एम0डी0ओ0 को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां एम0डी0ओ0 निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगा या करवाएगा।

(ग) उप-खण्ड (ख) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि एम0डी0ओ0, रेत खदानखदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(घ) जहां एम0डी0ओ0, उप-खण्ड (ख) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलक्टर या उप-खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, एम0डी0ओ0 से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(ङ) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर, एम0डी0ओ0, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो एम0डी0ओ0, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

44. यदि एम0डी0ओ0, अनुबंध की शर्तों का उल्लघन करता है, तो निगम को एम0डी0ओ0 द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को समपहत करने का अधिकार होगा। ठेका निरस्त करने की दशा में एमडीओ द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि राजसात करते ही जा सकेगी एवं एमडीओ से वसूली योग्य राशि जमा करने हेतु उसे सूचित किया जावेगा। एमडीओ द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में राशि जमा न करने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली उसके विरूद्ध न्यायालयीन वाद दायर कर अथवा कर भू-राजस्व बकाया की वसूली के रूप में की जा सकेगी।

45. एम0डी0ओ0, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

46. ई-निविदा सह नीलामी सूचना, ई निविदा सह नीलामी प्रपत्र, अनुबंध रेत नियम मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

47. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टक्रमित किया जाता है, कि यदि, एम0डी0ओ0 उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तो को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम (रूपए **21,21,01,221/-**) जो कि एम0डी0ओ0 द्वारा जमा की गई है निगम द्वारा उसे वापिस कर दी जाएगी। एम0डी0ओ0 के कन्सॉरशियम होने की स्थिति में सुरक्षा राशि एस0पी0वी0 को उपरोक्तानुसार वापिस की जायेगी। सुरक्षा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

48. अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure):-

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road Balaghat

यदि किसी अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure) जो बोलीकर्ता के नियंत्रण से परे हो तथा इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि बोलीकर्ता द्वारा ऐसी घटना या परिस्थिति के होते हुए भी उन्हें रोकने, हटाने या टालने के पर्याप्त प्रयास किये गये हों ताकि कार्य निरंतर चलता रहे, के कारण कार्य बाधित हो तो समयावधि तक बोलीकर्ता के सभी दायित्व स्थगित रखे जायेंगे। बोलीकर्ता ऐसी घटना या परिस्थिति की विस्तृत जानकारी उसके उत्पन्न होने के पूर्व या 7 दिवस के भीतर, जैसा भी संभव हो पर्याप्त साक्ष्य सहित निगम को देगा तथा कारण (अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति) के समाप्त होने पर निगम को सूचित करते हुये कार्य पुन: प्रारंभ करेगा। निगम द्वारा वांछित तथा तदानुसार बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी, साक्ष्य तथा दस्तावेज के आधार पर प्रबंध संचालक द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

यहाँ पर अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति से अभिप्रेत है:- देवीय प्रकोप जैसे बाढ़, महामारी, भूकम्प तथा अकाल इत्यादि तथा अनपेक्षित घटना यथा आम हड़ताल, कर्फ्यू, उपद्रव, आगजनी, दंगा तथा शासन द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक धारायें, नियम आदेश या उदघोषण में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन आदि।

49. **विवादों का निपटरा:-**

निगम एवं बोलीकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध से संबंधित किसी विवाद के निराकरण हेतु विवाद उत्पन्न होने के सात दिवसों के भीतर बोलीकर्ता द्वारा निगम के प्रबंध संचालक को औपचारिक रूप से लिखित में विवाद का सारभूत अधिसूचित किया जावेगा। अधिसूचित करने के तीस दिवस के भीतर निगम के प्रबंध संचालक संबंधित पक्षों की सुनवाई कर इसका निराकरण कर सकेंगे। यदि निगम के प्रबंध संचालक 30 दिवस में उन्हें संदर्भित किये गये विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तब ऐसी स्थिति में या बोलीकर्ता प्रबंध संचालक द्वारा निर्णीत समाधान से संतुष्ट न हो तो आर्बीट्रिशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के तहत मध्य प्रदेश मध्यस्थता केन्द्र (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) नियम, 2019 अनुसार विवाद का निपटारा किया जावेगा।

50. **विवाद का अधिकार क्षेत्र :-**

समस्त वैधानिक विवाद भोपाल न्यायालय के अधीन होंगे।

SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

खनि अधिकारी
बालाघाट

अनूसूची-क

(पैरा 1 देखिए)

क्र.	जिला	तहसील	समूह का नाम	ग्राम जहां खदान स्थित है)	खसरा क्रमांक	रकबा (है.में)
1	2	3	4	5	6	7
1	बालाघाट	कटंगी	बालाघाट	बाहकल	01 भाग, 231 भाग	3.239
2	बालाघाट	कटंगी	बालाघाट	कलगांव	185	2.500
3	बालाघाट	कटंगी	बालाघाट	जरामोहगांव	457	4.300
4	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	पानगांव	547	3.000
5	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	केशा	164	4.500
6	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	बिनोरा	01&46भाग	6.318
7	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	कडकना	245	7.229
8	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	सेवती	258	8.788
9	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	मुण्डेसर्रा	529/1	15.430
10	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	चिचोली	387	1.458
11	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	टुय्यापार	583	1.012
12	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	घोटी	1/1.	2.900
13	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	लावनी	473	1.822
14	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	चुटिया	251	4.500
15	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	गजपुर	208	4.900
16	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	गुनई	12	4.500
17	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	अतरी	455	4.000
18	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	बकोडी	1	4.500
19	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	टेमनी	332/1	4.500
20	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	चिचगाव	5	4.806

SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

18

21	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	भोरगढ	457/1	4.950
22	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	चिचोली	463	4.990
23	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	खैरी	854	4.000
24	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	मोवाड	209/1	4.202
25	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	सावरी	795	4.920
26	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	हरदोली	456	4.480
27	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	बम्हनी	418/1/1	3.402
28	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	बोनकट्टा	443/1, 443/2	4.750
29	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	कोडबी	285	4.960
30	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	ठाकुरटोला	125	1.000
31	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	भालेवाडा	207 भाग	1.944
32	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	मगरदर्रा	01 भाग	1.000
33	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	कुकडा	258 भाग	2.000
34	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बरखों	22	3.150
35	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	भमोड़ी	1/1.	1.328
36	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बरखेडा	45	3.220
36	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	रोशना	457/1	4.950
37	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	भोरगढ	1	4.500
38	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	धापेवाडा	144	3.000

SHRI RAJESH PATHAK Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि
जिला कार्यालय-बालाघाट

बालाघाट

39	[redacted]	[redacted]घाट	बालाघाट	भटेरा	14/1	7.000
40	[redacted]	बैहर	बालाघाट	लहंगाकन्हार	7/ 1.	2.000
41	[redacted]	लांजी	बालाघाट	परसोडी	220/1	4.900
42	बालाघाट	लांजी	बालाघाट	कोचेवाही	702	3.000
43	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	साल्हे	1	1.011
44	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	धपेरा	957	2.000
45	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	कौडिया	117	4.292
46	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	ददिया	397	4.900
47	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	छिंदलई	24/1	4.500
48	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	खापा	345/1	1.458
49	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	जागपुर	75	8.565
50	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	कौलीवाडा	735	3.500
51	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	बासी	1	3.800
52	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सिवनी	442/1	4.000
53	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सावंगी	625	4.000
54	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	चंदौरी	21	4.500
55	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	दिनी	346	4.900
56	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	गट्टापायली	434	3.800
57	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	मेहंदीवाडा	326	4.800
58	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	पूनी	231/1	4.900
59	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	पूनी	231/1	4.500
60	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	जागपुर	75	2.000

SHRI RAJESH PATHAK, Baihar Road, Balaghat

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

[illegible] अधिकारी
बालाघाट

61	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सिंगोड़ी	650	8.396
62	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	बुदबुदा	706	7.750
43	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सरंण्डी	574	10.000
64	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	रामपायली	1014	8.869
65	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	कंटगटोला	255	12.416
						291.755

कलक्टर के हस्ताक्षर

जिला ....

(मुहर)

खनि अधिकारी
बालाघाट

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1.........(K.S. paste).................

2...

प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम,

द्वारा नामित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

जिला ....

(मुहर)

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि
जिला कार्यालय-बालाघाट

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1...

2...

एम0डी0ओ0 का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

श्री० राजेश ... पाठक
नि० वार्ड नं० 15, बैहर रोड
बालाघाट (म.प्र.)

SHRI RAJESH PATHAK Balaghat

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ......(Kamlesh Lilhare)...

2. ....संजय पटेल...............

M/S SHREE RAJESH PATHAK
Add. Baihar Road, Balaghat (M.P.)
GSTIN : 23ALCPP4528K1Z1

The M.P. State Mining Corporation Ltd., Bhopal
No. 4428
Date 3.1.2024

Date : 30/12/2023

CGM

प्रति,
प्रबंध संचालक महोदय
दी मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल

विषय:- बालाघाट जिले की आवश्यक वैधानिक अनुमतियां न मिलने व प्रशासनिक सहयोग न मिलने से ठेका सरेंडर करने विषयक,

संदर्भ:- हमारा पत्र 8-9-2023 एवम 29-09-23 को मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवम् कलेक्टर महोदय बालाघाट को प्रेषित पत्र,हमारा पत्र 29 /12/2023

महोदय जी,

विषयांतर्गत लेख है कि हमारी फर्म मध्य प्रदेश रेत खनन परिवहन भंडारण व व्यापार नीति 2019 के तहत निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में उच्चतम निविदाकार घोषित होकर बालाघाट जिला रेत खदान समूह हेतु माइन डेवलपर कम आपरेटर नियुक्त हुई है,इससे पूर्व भी हमारी फर्म के द्वारा बालाघाट जिला रेत खदान समूह का सफलता पूर्ण संचालन किया गया था। निविदानुसार 65 रेत खदानो में से मात्र 30 खदानों के EC CTO जारी हुए , बाकि खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां नहीं मिली, जिसकी वजह से बाकि खदानों में लगातार दूसरों के द्वारा अवैध रेत उत्खनन किया गया,हमारा व्यापार प्रभावित हुआ,महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर बहने वाली बावनथडी नदी के महाराष्ट्र तरफ से चल रही रेत चोरी व रेत के अवैध कारोबार व जिले के विभिन्न स्थानों में चल रहे ट्रेक्टर व बैलगाडी से अवैध रेत उत्खन व व्यापार से हमारा व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ,दूसरी तरफ बालाघाट जिले में गिरोह बनाकर ब्लैकमेलिंग का प्रयास करने व मांग पूरी न होने पर साजिशपूर्ण शिकायतें करने, खदानों के संचालन में रोडा उत्पन्न करने का क्रम निरंतर जारी है, जिसका दंश हमारी फर्म पिछले ठेके से ही लगातार झेल रही है,जिसकी शिकायत हमारे द्वारा उच्चाधिकारियों से मौखिक व लिखित रूप से कई बार की गई लेकिन मामले का हल अब तक नहीं निकल पाया है, फलस्वरूप हम लगातार मानसिक प्रताड़ना झेलने के साथ व्यापार बाधित होने से आर्थिक हानि उठा रहे हैं,ढेरों कारण हैं जिसकी वजह से हम ठेका सरेंडर करने में विवश हो गए हैं।

MD/991
03/01/24

1:- कंकर मुंजारे, दरबू सिंह उइके,किशोर समरिते एवं जितेंद्र राजा लिल्हारे द्वारा गिरोह बनाकर शिकायतें कर ब्लैकमेलिंग का प्रयास लंबे समय से किया जा रहा है,कभी किसी को आगे करके शिकायत की जाती है और जांच के बाद शिकायत झूठी पाई जाने पर दूसरे सदस्य को आगे करके पुनः शिकायत कर दी जाती है ताकि मानसिक रूप से हम प्रताडित होते रहें। हमारी फर्म शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रेत खदानों के संचालन से करोड़ों का राजस्व शासन के पक्ष में अर्जित करने का प्रयास करते

1178/Mc
8/1/24
Sand-1419
10-1-24
Sand-1420
10-1-24
GM (M)
6438 En
8981

Mobile No. : 7748877078
Email : pathakrajesh336@gmail.com

हैं,व्यापार से करोड़ों रुपए जीएसटी के रूप में जमा करते हैं,आयकर के रूप में भी लाखों रुपए शासन को जमा करते हैं,समस्त प्रकार के दायित्वों का निर्वहन हमारे द्वारा किया जा रहा है,फिर भी हमारी समस्याओं की सुध नहीं ली जा रही है,हमारे द्वारा की गई ढेरों शिकायतों के बावजूद इन आसामाजिक तत्वों पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है,जबकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की शिकायतों पर बार बार जांच कमेटी बन जाती है,बार बार हमारे विरुद्ध जांच हो रही हैं,जिससे इन्हे ब्लैकमेलिंग का प्रयास तेज करने का बल मिल रहा है।

2:- हम स्वीकृत रेत घाटों का संचालन करने में भी असमर्थ हैं क्योंकि अवैध वसूली के प्रयास में लगे लोग लगातार व्यधान उत्पन्न करते हैं, ग्रामीणों को उकसाकर जबरिया बवाल कराते हैं, फिर भी अवैध रेत उत्खन का आरोप हमपर ही लगता है , जबकी कंकर मुंजारे ,किशोर समरीते , दरबु सिंह उइके ,जितेंद्र राजा लिल्हारे के द्वारा हाल ही में ब्लैकमेलिंग के प्रयास में विफल होने के बाद राष्ट्रीय हरित कोर (NGT) में शिकायत कर प्रकरण दरबू सिंह उइके के माध्यम से पेश किया गया था, जांच उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट व हमारे द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजों को देखकर माननीय न्यायालय के द्वारा प्रथम दृष्टया दरबू सिंह उइके द्वारा दायर प्रकरण फर्जी पाकर निरस्त कर दिया गया था,इसके बाद अब जितेंद्र राजा लिल्हारे को हमारे विरुद्ध साजिश रचकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने खडा किया गया है। अभी कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में इन्ही लोगो की शिकायत पर जांच दल बनाकर हमारे ही विरुद्ध पुनः जांच की जा रही है,जिसकी वजह से पुनः मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।

4:- ग्रामीणों को उकसाकर इनके द्वारा भ्रामक और तथ्य विहीन जानकारी देकर इस गिरोह के द्वारा कई रेत घाटों को बाधित किया जा चूका है,जिसकी शिकायत हमारे द्वारा कई बार की गई है,जिले की स्वीकृत रेत खदानों में हजारों की संख्या में मजदूरों को रोजगार मिल रहा है,स्थानीय ट्रेक्टर मालिकों के साथ सुपरवाइजर के तौर पर स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलता है, अवैध वसूली के प्रयास में बार बार स्वीकृत खदानों को अवैध बताकर बाधित करने से हमारा व्यापार प्रभावित तो होता ही है ,साथ ही सरकार को मिलने वाले राजस्व की भी हानि होती है,और स्थानीय लोगों का रोजगार भी प्रभावित होता हैं। इनके कृत्य से अक्रोशित होकर हजारों मजदूरों के द्वारा ट्रेक्टर रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त करते हुए इन पर कार्यवाही की मांग भी की जा चुकी है,लेकिन अब तक इनपर लगाम नहीं कसी जा सकी है।

5:- हम माइन डेवलपर कम आपरेटर के रूप में कार्य करते हुए चौतरफा मार झेल रहे हैं,इस स्थिति के चलते हमारा काम करते रहना संभव नहीं है,एक तरफ महाराष्ट्र की ओर से चल रही रेत चोरी से बालाघाट जिले की रेत खदानों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है,शिकायतों के बाद भी महाराष्ट्र प्रशासन कार्यवाही नही कर रहा है,सीमा पर स्थित बावथड़ी व वैंगनगा नदी पर समानांतर घाट चोरी से चलाए जा रहे हैं,बालाघाट जिले की सीमा की रेत भी महाराष्ट्र तरफ से लगातार खोदी जा रही है, दूसरी तरफ जिले के भीतर विभिन्न नदी नालों से ट्रेक्टर व बैलगाड़ियों के माध्यम से रेत चोरी का क्रम निरंतर जारी है जिसकी तमाम शिकायतों के बाद भी कोई असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है,तीसरी तरफ प्रशासन का अपेक्षित सहयोग हमें नहीं मिलता है साथ ही ब्लैकमेलिंग का व्यवसाय संचालित करने वाले

गिरोह के सदस्य व्यापार को लगातार बाधित कर रहे हैं,पिछले ठेके से लगभग ढाई गुना राजस्व इस बार हमें सरकार को देने अर्जित था किंतु हमारे प्रयासों में बार बार पानी फिर गया।

6:- हम सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के साथ ज्यादा से ज्यादा सरकारी खजाने के लिए बालाघाट की रेत खदानों से राजस्व अर्जित करने का प्रयास किए,जिसमें लगातार व्यवधान उत्पन्न हुआ,ब्लैकमेलिंग गिरोह के सदस्य ग्रामीणों को ये तक कहकर उकसाते रहे रेत तुम्हारी है तुम खोदकर बेच सकते हो ,ठेकेदार के माध्यम से रॉयल्टी लेने की आवश्यकता नहीं है;चोरी से चलने वाले ट्रैक्टरों को ये लोग संरक्षण देकर धन भी कमाते हैं, बार बार ऐसे में ग्रामीणों से विवाद की स्थिति बनी, कहीं कहीं तो ये लोग ग्रामीणों को आक्रोशित कर वैध रॉयल्टी लेकर रेत परिवहन करने वाले वाहनों का रास्ता बंद करवा देते हैं जिससे वो स्वीकृत घाट ही बंद हो जाता है,पिछले ठेके में खैरलांजी के सावरी और अतरी घाट भी इनके साजिश का शिकार हुए थे, पैसों की मांग पूरी न होने पर कंकर मुंजारे और जितेंद्र राजा लिल्हारे के द्वारा हमारे वैध रेत भंडारण कुम्हली जाकर ग्रामीणों को आक्रोशित कर रेत का परिवहन रोक दिया गया था,नियमानुसार किए गए रेत भंडारण से उठाव करने के एवज में मोटी रकम मांगी गई थी,मांग पूरी न होती देख इन्होंने ग्रामीणों को उकसाया था ग्रामीण जब इनकी मंशा समझ गए तो हमारा परिवहन सुचारू रूप से चलने लगा जिससे ये लोग और चिढ़ गए और उसके बाद फर्जी शिकायतों की गति बढ़ा दी गई।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उक्त कारणों की वजह से ठेका आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं, हमारी फर्म बार बार शिकायतें करती रही ,कार्यवाही की मांग करती रही ताकि सुचारू रूप से कार्य कर ज्यादा से ज्यादा राजस्व सरकार के मद में जमा करवा सके, लेकिन 63 खदानों में से मात्र 30 खदानों के संचालन के लिए वैधानिक अनुमतियां प्राप्त हुई बाकि रेत खदानों में स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध उत्खनन व व्यापार कर हमें आर्थिक क्षति पहुंचाई गई, दूसरी तरफ समाज और प्रदेश के विकास में कोई भी भूमिका न अदा करने वाला ब्लैकमेलर गिरोह इसी तरह साजिशपूर्ण शिकायतों से परेशान करता रहा ,हमारा मानसिक उत्पीड़न होता रहा, व्यापारिक नुकसान होता रहा, हमारी छवि धूमिल होती रही,और हमें प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला हम राजस्व अर्जित करने में विफल रहे ,हमें मजबूरन माइन डेवलपर कम आपरेटर की भूमिका छोड़नी पड़ रही है। हमारे द्वारा आज बालाघाट जिले के रेत का ठेका आज दिनांक 30-12-2023 को समर्पण/सरेन्डर किया जाता है कृपया इसे स्वीकार करें ।

राजेश पाठक

दिनांक:- 30/12/2023

सफलतम निविदाकार
मेसर्स राजेश पाठक
बैहर रोड़, आवलाझरी
बालाघाट (म.प्र.)

~~64~~ (98)

Annexure-VI

Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	01010501052024012102
Total E-Stamp Amount	1000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	01/05/2024 15:27:24
Service Provider or Issuer Details	BANSHI LAL PARIHAR/SP01011660420210l102
SP/SRO/DRO/HO Details	WARD NO 28 NEAR NEW TELEPHONE EXCHANGE SARASWATI NAGAR BALAGHAT BALAGHAT BALAGHAT

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	II. relating to secure repayment of a loan or debt. - 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	Agreement

First Party Details

Organization Name	MADHYA PRADESH STATE MINING CORPORATION LTD
Address	BHAWAN, BLOCK-A, II ND FLOOR, JAIL ROAD, ARERA HILLS, BHOPAL MADHYA PRADESH 462011 BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	मेसर्स आर०जी०एण्ड एसोसियेटस् कंसोरसियम
Address	वार्ड नं0 15 बेहर रोड बालाघाट म0प्र0 के अधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो) श्री रमेश प्रसाद दुबे, वार्ड नं0 15 बेहर रोड बालाघाट म0प्र0 481001 BALAGHAT Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Digitally signed by Banshilal Parihar
Date: 2024.05.01 15:27:27 IST

पूरन लाल लश्कार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

रमेश दुबे

58

01010501052024012102

Page 1 of 1

(99)

सफल प्रतिभागी के साथ निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप

रेत खदानों से रेत खनन एवं विक्रय हेतु अनुबंध

यह अनुबंध, एक पक्ष के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित की ओर से नामित प्रतिनिधि **पूरनलाल लक्षकार, कनि0 प्रबंधक (सामान्य)** .(जिसे इसमें इसके पश्चात " निगम" कहा गया है) एवं जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और द्वितीय पक्ष के रूप में रेत खदानों के समूह की अवस्थिति के जिला बालाघाट के कलेक्टर की ओर से नामित प्रतिनिधि .... (जिसे इसमें इसके पश्चात कलेक्टर कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और तृतीय पक्ष के रूप में रेत खदानों के समूह बालाघाट हेतु नियुक्त माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) **मेसर्स आर0जी0 एण्ड एसोसियेट्स कंसोरसियम, वार्ड नं0-15, बैहर रोड, बालाघाट (म0प्र0)** के अधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो तो) **श्री रमेश प्रसाद दुबे, वार्ड नं0-15, बैहर रोड, बालाघाट (म0प्र0)** 481001 (जिसे इसमें इसके पश्चात " माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0ओ0)" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक ....02.. माह **मई, 2024** को अवधि .... से 01/05/2029 हेतु रेत खदानों के समूह में सम्मिलित रेत खदानों से रेत के खनन एवं विक्रय हेतु के लिए किया गया है।

यत: निगम ने माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) को उपरदर्शित रेत खदानों के समूह का ठेका स्वीकृत किया है। समूह में सम्मिलित रेत खदानों का सांकेतिक विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है ।

1- <u>परिभाषा -</u>

(1) इस अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67)

(ख) **"निगम"**से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित अथवा दि म0प्र0 स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.;

(ग) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न प्ररूप;

(घ) **"सरकार"**से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) **"ग्राम पंचायत"**, **"जनपद पंचायत"**, **"जिला पंचायत"**और **"ग्राम सभा"**के क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए है;

(च) **"रेत खनिज"**से अभिप्रेत है, साधारण रेत, बजरी जैसा कि खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ड.) में परिभाषित किया गया है;

(छ) **"नगरपालिका"**के वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए है:

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि
जिला कार्यालय-बालाघाट

59

(ज) **"भण्डारण अनुज्ञप्ति"** से अभिप्रेत है, रेत खनिज के भण्डारण एवं व्यापार हेतु इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति;

(झ) **"भण्डारण स्थल"** से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान, जहां व्यवसायिक प्रयोजन हेतु रेत खनिज का भण्डारण किया जाता है;

(ञ) **"नगरीय निकाय"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका नगर परिषद;

(ट) **माईनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर (एम.डी.ओ.):-** *निगम द्वारा नियम 8 में* विहितप्रक्रिया अनुसार चयनित माईनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर, जो कि उसे आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

(ठ) **"लेखा वर्ष"** से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रेल शुरू होता है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है।

(ड) **"अनुबंध"** से तात्पर्य इस अनुबंध तथा इसकी ई-निविदा सह नीलामी की आमंत्रण सूचना, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र, उसमें संलग्न परिशिष्ट तथा दस्तावेज से है।

(ढ) **"नियम"** से तात्पर्य म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 से है।

(ध) **"अनुबंध की अवधि"** नियम 9 में यथा विहित । अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

(न) **"लागू अधिनियम"** से तात्पर्य वे कानून हैं जो राज्य शासन या केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हो तथा लागू एवं प्रभावशील हों। इन कानूनों में इनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम तथा अधिसूचना और न्यायालय के निर्णय, डिक्री, ब्योदेश, रिट, आदेश, जो कि इस अनुबंध से संबंधित हैं, भी सम्मिलित हैं।

(प) **"वैधानिक स्वीकृतियाँ"** से तात्पर्य उन सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों, अनुज्ञा-पत्रों, प्राधिकार, सहमति तथा अनुमोदनों से है, जिनकी आवश्यकता प्रचलित कानूनों केअंतर्गत रेत खदानों के संचालन तथा इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए हो।

पूरन लाल लश्कर
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

(फ) "व्यवसायिक सदप्रथाएँ" से तात्पर्य उन प्रथाओं, पद्धतियों, तकनीकों, मानकों दक्षता, अध्यवसाय, बुद्धमत्ता से है जिसकी अपेक्षा सामान्यतया अंतराष्ट्रीय स्तर पर युक्तियुक्त तथा दक्ष एवं अनुभवी ऐसे ही कार्य में लगी एजेंसी, जैसी कि इस अनुबंध में प्रावधानित है।

(ब) "पक्षो" से तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले तीनों पक्षों से है। पक्ष का तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले किसी भी एक पक्ष से है।

(भ) "निगम के प्रतिनिधि" तात्पर्य निगम के प्रबंध संचालक दि म0प्र0स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि0 भोपाल या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि प्रबंध संचालकअथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में इस अनुबंध के अंतर्गत किया जाता है।

(म) "प्रबंध संचालक"से तात्पर्य दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक से है।

उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) मध्यप्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है एवं प्रदेश में विभिन्न खनिजों के उत्खनन एवं वाणिज्य में संलग्न हैं। निगम को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा आवंटित किया गया है तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियाँ यथा माईनिंग प्लान का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त करने का दायित्व दिया गया है एवं उक्त खदानों का निवर्तन, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 (रेत नियम, 2019) के प्रावधानों के अंतर्गत किए जाने का कार्य दिया गया है।

निगम को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा आवंटित किया गया है। निगम द्वारा इन रेत खदानों से उत्खनन एवं विक्रय का कार्य, नियम8 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) से कराया जावेगा।

उक्त दायित्व की पूर्ति हेतु निगम द्वारा ई निविदा सह नीलामी के माध्यम से एम0डी0ओ0 का चयन किया गया है। उक्त निविदा में रेत खदानों के समूह **बालाघाट** हेतु उच्चतम बोली रूपए **76,07,23,231/-** प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागी **मेसर्स आर0जी0 एण्ड एसोसियेट्स कंसोरसियम** को उच्चतम प्रतिभागी घोषित किया गया। **मेसर्स आर0जी0 एण्ड एसोसियेट्स कंसोरसियम** को पत्र क्रमांक **रेत/न0क्र0/2024/1484** दिनांक **05-03-2024** के माध्यम से सूचना पत्र जारी किया गया एवं वांछित सुरक्षा राशि तथा वचनबंध प्रस्तुत करने पर, शासन के अनुमोदन उपरांत आज 02/05/2024 को उपरोक्त अनुसार रेत खदानों के समूह **बालाघाट** हेतु अनुबंध निष्पादित किया जाता है।

2- कार्य का स्वरूप- इस अनुबंध का मूल तत्व, वार्षिक ठेका राशि के भुगतान पर निश्चित समयावधि हेतु समूह में सम्मिलित एवं निगम को खनिपट्टा पर आवंटित रेत खदानों से, रेत का उत्खनन एवं विक्रय का अधिकार

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

(102)

दिया जाना है। ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र में दी गई 68 की सूची, सूची में दर्शित खदानों का क्षेत्रफल एवं मात्रा आदि सांकेतिक मात्र है।

इस अनुबंध के अनुसरण में एम0डी0ओ0 को समूह की खदानों का तारीख02/05/2024से तारीख 01/05/2027तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा। एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि ठेके पर दिए गए क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

एमडीओ द्वारा समूह में सम्मिलित खदानों की तत्समय उपलब्ध वैधानिक अनुमतियों की सीमा तक उत्खनन किया जा सकेगा। यह मात्रा ठेका राशि के विरूद्ध उपलब्ध कराई गई रेत की मात्रा के अधीन होगी। एमडीओ, नियम के प्रावधानों के अधीन उक्त मात्रा का विक्रय एवं परिवहन करने हेतु स्वतंत्र होगा। अनुबंध के वर्ष की समाप्ति पर तत्समय शेष रेत की मात्रा सामान्यत: व्यपगत/ लैप्स हो जावेगी।

इस प्रकार रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार किए जाने पर लागू समस्त नियमों, खनिपट्टा तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में त्रुटि एवं नियमों॰ के उल्लघंन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगा तथा शासन/निगम उक्त नियमों उक्त के उल्लघंन की जवाबदेही से पूर्ण रूप से विमुक्त होगा। इस अनुबंध के माध्यम से एमडीओ द्वारा यह बिना शर्त यह सहमति दी जाती है की वह समस्त प्रकार के उल्लघंनों पर लागू आपराधिक उत्तरदायित्व को स्वयं ग्रहण करेगा। किसी भी न्यायालय प्राधिकरण अथवा प्राधिकारी द्वारा यदि खनन पट्टा धारक (निगम) के विरूद्ध कोई पैनाल्टी अथवा जुर्माना आदि लगाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति एम0डी0ओ0 द्वारा की जावेगी। यदि एम0डी0ओ0 के विरूद्ध पैनाल्टी अथवा जुर्माना लगाया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी को वह, उसका भुगतान करेगा।

3- **निविदा में सम्मिलित रेत समूह की अवधि** - समूह की खदानों की ठेका अवधि 03 वर्ष होगी। जिसमें अधिकतम दो वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि राज्य शासन द्वारा की जा सकेगी। प्रथम वर्ष की ठेका अवधि की गणना अनुबंध दिनांक से की जाएगी।

अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

4- **सुरक्षा राशि-** उच्चतम प्राप्त नीलामी राशि का 25% सुरक्षा राशि के रूप में देय होगा। यह सुरक्षा राशि अनिवार्यत:, पूर्व में ऑन-लाईन नगद जमा ई.एम.डी. राशि के समायोजन उपरांत, निगम द्वारा संधारित खाते (निविदा सूचना में यथादर्शित) में जमा की जावेगी।

यदि सफल निविदाकार द्वारा ई.एम.डी., बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की गई हो तो सुरक्षा राशि की संपूर्ण राशि जमा करने पर ई.एम.डी. के रूप में प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी वापस की जावेगी।

प्रथम माह की किश्त अग्रिम में देय होगी।

उक्त सुरक्षा राशि ठेके के निबंधनों और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समपहत किए जाने योग्य होगी;

5- **ठेका राशि का निर्धारण एवं भुगतान-** यह कि एम0डी0ओ0 ई-निविदा सह नीलामी की शर्तो के अनुसार निम्नानुसार राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है -

(क) ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम मूल्य की राशि, जिसके क्रम में प्रतिभागी का आशय पत्र दिनांक **29-04-2024** जारी किया गया, वार्षिक ठेका राशि होगी एवं ठेके के प्रथम वर्ष में वार्षिक

पूरन लाल लश्कार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

69 103

राशि ही देय होगी। ठेके के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं नियम 9 अनुसार विस्तारित अवधि में वार्षिक ठेका राशि से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा।

समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य - रूपए 37,50,00,000/-

उच्चतम मूल्य की राशि (वार्षिक ठेका राशि) - रूपए 76,07,23,231/-

क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष में देय राशि (रूपए)	द्वितीय वर्ष में देय राशि (रूपए)	तृतीय वर्ष देय राशि (रूपए)
1.	वृद्धि का प्रतिशत	-	10%	10%
2.	वृद्धि राशि	-	7,60,72,323.10/-	7,60,72,323.10/-
3.	कुल देय राशि	76,07,23,231/-	83,67,95,554.10/-	91,28,67,877.20/-

(ख) वार्षिक ठेका राशि मासिक किश्तों में माह के प्रथम दिवस को अग्रिम में देय होगी। यदि माह का प्रथम दिवस शासकीय अवकाश हो तो मासिक किश्त इसके अगले दिन जमा करायी जाएगी। प्रथम किश्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तारीख को ही देयहोगी। ठेका राशि की गणना एवं भुगतान अनुबंध दिनांक से की जायेगी। माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में वार्षिक ठेका राशि के क्रमशरू चार, तीन एवं तीन प्रतिशत एवं शेष राशि अन्य 9 माहों में समान किश्तों में देय होगी। ठेका अवधि के प्रथम एवं अंतिम माह में किश्त की गणना समानुपातिक रूप से की जाएगी।

(ग) मासिक किश्त की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर समूह की खदानों की ई.टी.पी. (स्टॉक सहित) चालू की जा सकेगी। किन्तु माह के अंत तक मासिक किश्त की सम्पूर्ण राशि, मय ब्याज के जमा करनी होगी अन्यथा ई0टी0पी0 (स्टॉक सहित) पर रोक लगा दी जावेगी। जमा राशि की समानुपातिक रेत की मात्रा एम0डी0ओ0 को निवर्तन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी।

(घ) यदि किसी माह में निकास की जाने वाली रेत की मात्रा के लिए देय राशि, उस माह हेतु संदत्त किश्त राशि से अधिक है तो, अतिरिक्त राशि, ठेका किश्त के अतिरिक्त पृथक से अग्रिम में संदेय होगी। उक्त राशि अतिरिक्त उठाव की गई रेत की मात्रा एवं समूह की स्वीकृत ठेका राशि एवं निविदत्त मात्रा के आधार पर निकाली गई प्रति घनमीटर राशि का गुणनफल होगा। उक्त राशि न चुकाये जाने की स्थिति में निगम/कलेक्टर खनिज परिवहन हेतु अपेक्षित अभिवहन पारपत्र जारी किया जाना रोक देगा। इस प्रकार जमा अतिरिक्त राशि एवं उठाई गई/उठाई जाने वाली मात्रा, वार्षिक ठेका राशि एवं मात्रा अनुसार समायोजन योग्य होगी।

(ड) ठेका राशि के अतिरिक्त समस्त अन्य कर, शुल्क, शासकीय भुगतान पृथक से देय होंगे ।

यह राशि म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 10 के अनुसार जो रकम एतदद्वारा ठेका राशि कहलाएगी।

पूरन लाल लश्कार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन
जिला कार्यालय-...

कलेक्टर

(च) एम0डी0ओ0 द्वारा ठेका राशि तथा खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम निगम के रेत पोर्टल https://mining.mp.gov.in के माध्यम से ऑन-लाईन जमा की जावेगी।

(छ) यदि एम0डी0ओ0 नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो एम0डी0ओ0 के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों एवं उसे आवंटित रेत भण्डारण की ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा एम0डी0ओ0 को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए :

उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 18 प्रतिशत वार्षिक अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिश्चित दर से ब्याज सहित, देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, निगम खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, उपरोक्तानुसार यदि मासिक किश्त की देयता की तारीख के एक माह के भीतर एम0डी0ओ0 राशि जमा करने में असफल रहता है तो, निगम द्वारा ठेका निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त नहीं होती तब तक एम0डी0ओ0 के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों एवं उसे आवंटित रेत भण्डारण के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी। तथापि शासन, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0एवंनिगम द्वारा अन्य वैधानिक अथवा व्यवसायिक कारणों से भी खदानों तथा एम0डी0ओ0 को आवंटित रेत भण्डारण की ईटीपी रोकी जा सकेगी।

6- एम0डी0ओ0.ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा:

7. <u>वैधानिक अनुमतियाँ -</u>

7.1 वैधानिक अनुमतियाँ- वैधानिक अनुमतियाँ निम्नानुसार हैं:-

7.1.1 खनन योजना- निगम द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियमों के तहत तैयार की जाएगी।

7.1.2 पर्यावरण स्वीकृति - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

7.1.3 जल एवं वायु सम्मति - जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

7.1.4 अनुमत मात्रा - खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, जल एवं वायु सम्मति, इनमें से जो भी कम हो तक ही खनन अनुज्ञेय होगा, जो कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा के अधीन होगा।

7.2 वैधानिक अनुमतियों के बिना अथवा वैधानिक अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा मे खनन किए जाने पर एम0डी0ओ0 के विरूद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन,

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)
म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

(105)

परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 एवं अन्य लागू नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

7.3 रेत खदानों के समूह के एम0डी0ओ0 द्वारा रेत खनन विभिन्न वैधानिक अनुमतियों के अधीन किया जायेगा।

7.4 चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों की विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां तथा खनन योजना का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्मति आदि निगम के प्रबंध संचालक द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा, निगम के पक्ष में प्राप्त जा चुकी/जा रही है। इन वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

7.5 समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तो के उल्लघन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।

7.6 समूह में सम्मिलित सभी चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों जिनकी वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी है, की वैधानिक स्वीकृतियों की अनुमत मात्रा का योग ही, समूह की कुल खनन योग्य उपलब्ध मात्रा होगी तथा निविदा प्रकाशन की तारीख तकजिन खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो, निगम द्वारा उन खदानों को भी, आवेदन में उल्लेखित मात्रा के आधार पर निविदा में सम्मिलित किया गया है। ऐसी खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में समूह के सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जावेगा। ऐसी खदानों की स्वीकृतियांसक्षम प्राधिकारी से प्राप्त न होने की स्थिति में/विलम्ब होने में, समूह की मात्रा अथवा ठेका राशि कम करने संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं ऐसी जमा ठेका राशि, जिसके विरूद्ध वैधानिक अनुमतियों के अभाव में रेत उठाव नहीं हो पाया है, की मात्रा का निवर्तन एम0डी0ओ0 द्वारा शेष ठेका अवधि में किया जा सकेगा। जिसके विरूद्ध पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

समूह में शामिल रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों की निविदा जारी दिनांक की अद्यतन स्थिति निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट-9 पर है।

7.7 (क) ठेका के संचालन की अवधि के दौरान कोई नवीन खदान के लिए प्रस्ताव कलेक्टर को प्राप्त होता है, तो कलेक्टर, आवश्यक जांच के पश्चात निकटतम उपयुक्त समूह में खदान शामिल कर सकेगा। इस नवीन खदान की अवधि ठेका की समाप्ति की अवधि तक मान्य होगी।

समूह की कुल मात्रा की अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा की क्षमता तक नवीन खदानें जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियाँ निगम द्वारा प्राप्त की जायेगी, जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जायेगा।"

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

कलेक्टर
बालाघाट

(168)

(ख) समूह के एम0डी0ओ0 को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह ऐसी नवीन घोषित खदानों को पूर्व से निविदा में सम्मिलित खदानें, जो कि वैधानिक कारणों से संचालन योग्य नहीं है अथवा समूह में निविदत्त मात्रा से कम मात्रा की वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त है, को उक्त मात्रा की सीमा तक प्रतिस्थापित कर सकेगा।

उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापन न किये जाने पर खदान से रेत निकासी हेतु समूह हेतु (समूह की तत्समय प्रचलित ठेका राशि/निविदत्त मात्रा) के आधार पर राशि जमा कराई जाएगी। समूह ठेके के लिए कुल मात्रा की अनुमति अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा ही नवीन खदान के मामले में जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां निगम द्वारा प्राप्त की जावेगी जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जावेगा।

(ग) यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा निविदत्त मात्रा से कम है, तो एम0डी0ओ0 के अनुरोध पर निविदत्त मात्रा की 20 प्रतिशत मात्रा को आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि (समूह की तत्समय प्रचलित ठेका राशि/निविदत्त मात्रा)जमा की जानी होगी। समस्त वैधानिक अनुमतियों का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। इस हेतु एम0डी0ओ0 द्वारा अनिवार्य रूप से पूर्व के वर्ष के अंतिम दिवस तक निविदत्त मात्रा का से कम मात्रा का उत्खनन किये जाने की सूचना एवं उक्त मात्रा को आगामी वर्ष में उठाने की अनुमति बावत अभ्यावेदन निगमको प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) यदि एम0डी0ओ0 किसी वर्ष में, उस वर्ष की निविदत्त मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे उसके आवेदन अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की निविदत्त मात्रा के विरूद्ध समायोजित की जाएगी।

किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. <u>अनुबंध का निष्पादन -</u>

8.1 सफल प्रतिभागी, आशय पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर परिशिष्ट-3 पर संलग्न प्रारूप में निगम को इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि, अनुमत सीमा तक ही खनन किया जाएगा और वह नियम 14 के उप-नियम (2) के अनुसार समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि का निक्षेप करेगा और वह समूह में सम्मिलित किसी विशिष्ट खदान का अनुबंध निष्पादन हेतु तैयार है ।

8.2 सफल प्रतिभागी द्वारा उक्त वचन बंध के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

(i) आपकर स्थाई खाता क्रमांक (पेन) की प्रति

(ii) जी.एस.टी. नंबर प्रमाण पत्र की प्रति

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि

कलेक्टर
बालाघाट

(107)

(iii) निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑफ-लाईन करार/वचन पत्र/ सहमति पत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड), निविदाकार का विवरण, प्राधिकार पत्र, स्थल भ्रमण प्रमाणपत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड) की मूल प्रति

(iv) निविदाकार के संबंधी दस्तावेज की प्रति,

i.	व्यक्तिगत के लिये	आधार कार्ड/पेन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी/अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं साझेदारी डीड
iii.	कंपनी के लिये	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति एवं मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र

(v) निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति ।

8.3 वचनबंध प्रस्तुत करने के उपरांत रेत समूह ठेका का त्रिपक्षीय अनुबंध का निष्पादन राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत कराया जावेगा। त्रिपक्षीय अनुबंध कलेक्टर एवं निगम के अधिकृत प्रतिनिधि तथा सफल निविदाकार द्वारा निष्पादित किया जावेगा। संपूर्ण खदानों की सूची अनुबंध का भाग होगी। अनुबंध का भारतीय स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन एम.डी.ओ. के व्यय पर पंजीयन कराया जाएगा। खदानवार वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने पर, पृथक-पृथक खदानवार ठेका अनुबंध किया जावेगा।

8.4 यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा। परंतु यह कि आशय पत्र धारक अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के उपस्थित होने के 5 दिवस के भीतर अनुबंध का निष्पादन सभी पक्षों के लिये अनिवार्य होगा।"

8.5 इस तरह अनुबंधित आशय पत्र धारक माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) होगा, जो कि आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

9. **खनन संक्रियाओं का प्रारंभ किया जाना -**

9.1 सफल प्रतिभागी, अनुबंध का निष्पादन तथा पंजीयन के पश्चात किन्तु खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व निगम एवं कलेक्टर को इस आशय की सूचना देगा। निविदा प्रस्तुत करने

पूरनलाल लश्कार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(108)

की तिथि के पश्चात खदान क्षेत्र में उपलब्ध खनिज मात्रा, पहुंच मार्ग तथा अन्य संबंधित कारणों के संबंध में आपत्तियों स्वीकार योग्य नहीं होगी।

9.2 अनुबंध में उल्लिखित अनुसार निर्धारित तिथि को समूह की ठेका राशि जमा करने की शर्त पर, जब भी खदान की वैधानिक अनुमति प्राप्त होती है, उनमें खनन संक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। समूह की सभी खदानों की आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ एक साथ प्राप्त किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।"

10. <u>ठेकों का निरस्त किया जाना -</u>

10.1 निगम द्वारा ठेका समूह में सम्मिलित खदानों के एम0डी0ओ0 द्वारा इन नियमों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लघन, देय राशि विहित समयावधि में जमा न करने के कारण, पर्यावरण नियमों का सम्यक रूप से पालन नहीं करने, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जाना पाये जाने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने या अन्य गंभीर त्रुटि किए जाने की स्थिति में नियम तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लघन का विस्तृत विवरण देते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करेगा। निगम के प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा एम0डी0ओ0 से उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त उत्तर का परीक्षण करने के पश्चात, सुनवाई का उचित अवसर देते हुए या तो ठेका निरस्त कर सकेगा या सम्यक रूप से अन्य कोई निर्णय ले सकेगा।

ऐसे एम0डी0ओ0 जिनका रेत खदानों के समूह का ठेका निरस्त किया जाता है, उन्हे विभाग की ब्लैक लिस्ट में शामिल किये जाने का निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा। ये एम0डी0ओ0 ठेका निरस्ती की तिथि से तीन वर्ष हेतु विभाग के किसी भी ठेके में भाग लेने हेतु प्रतिषिद्ध होंगे।

10.2 ठेका निरस्त करने के ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरूद्ध उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

10.3 प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।"

11. **समूह का समर्पण -**

समूह का समर्पण - एम0डी0ओ0, निगम को किसी भी समय तीन माह अग्रिम में सूचना देकर समूह का समर्पण कर सकेगा। निगम/राज्य शासन को देय समस्त शोध्यों का भुगतान करने के पश्चात उक्त ठेका समर्पण, राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर, स्वीकार किया जा सकेगा।

परन्तु एक बार समूह के समर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात यह अविखण्डनीय होगा तथा राज्य शासन निर्धारित समयावधि में ऐसा समर्पण स्वीकार करेगा तथा एम0डी0ओ0, अनुबंध की निबंधनों एवं शर्तों के अधीन समूह का कब्जा सौंप देगा:

परन्तु यह भी कि, समूह के समर्पण का आवेदन प्राप्त होने पर निगम द्वारा समूह की पुन: निविदा हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, अनुबंधित ठेका समाप्ति के छह माह पूर्व समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचार में नहीं लिया जाएगा।

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

12 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य एम0डी0ओ0 द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो निगम द्वारा ठेका रद्द किए जाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में निगम/राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

13. (क) ई.एम.डी./सुरक्षा राशि की जप्ती -

ई.एम.डी./सुरक्षा राशि निम्न कारणों से जप्त करने का अधिकार निगम को होगा:-

(i) यदि प्रतिभागी वैधता अवधि (जो कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से छः माह होगी) में अपना ऑफर वापिस ले लेता है।

(ii) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 के पारा निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं हैं तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

यदि एम0डी0ओ0 द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो उसका ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि सफल प्रतिभागी के पक्ष में सूचना/आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या उसके द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा उसका सूचना/आशय पत्र/ अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकारप्रतिभागी को अयोग्य घोषित किये जाने अथवा एम0डी0ओ0 के अनुबंध निरस्त किये जाने के फलस्वरूपरूप उसकी ई0एम0डी0 राशि/ सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि जप्त की जावेगी तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 को हुई किसी भी हानि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

(iii) मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र एवं अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत ठेका निरस्त किये जाने पर ।

(iv) यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर जिला समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा।

(v) प्रतिभागी दिवालिया न हो एवं उस पर मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध एवं म0प्र0 राज्य खनिज *निगम का, निर्विवाद रूप से स्थापित* कोई शोध्य बकाया न हो एवं यदि ऐसे कोई शोध्य पाये जाते हैं तो उसकी जमा ई0एम0डी0/सुरक्षा राशि रकम से समायोजन योग्य होंगे।

14. **भविष्य निधि तथा लेबर संबंधी नियमों का पालनः-**

प्रचलित श्रम नियमों के अनुसार एम0डी0ओ0 को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मजदूरों से संबंधितबीमा, पी.एफ. इत्यादि नियमों का पालन करना होगा। एम0डी0ओ0 को पाक्षिक लेबर रिपोर्ट

पूरन लाल ... कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

निगम/कलेक्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एम0डी0ओ0 द्वारा उक्त नियमों के पालन न करने की स्थिति में प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड के भुगतान का संपूर्ण दायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम पर अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड आदि की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि एम0डी0ओ0 को आवंटित क्षेत्र में रेत उठाव एवं विक्री के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के फलस्वरूप धन-जन की हानि होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम/कलेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. एम0डी0ओ0, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

16. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि. तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए एम0डी0ओ0 को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर/निगम को ठेके की पूरी अवधि केदौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या एम0डी0ओ0 के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

17. समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तो के उल्लघन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।

18. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में निगम/कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान मे एम0डी0ओ0 द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

19. एम0डी0ओ0 स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

20. एम0डी0ओ0, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

21. एम0डी0ओ0, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगी।

22. एम0डी0ओ0, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए

पूरन लाल लश्कार

कलेक्टर बालाघाट

T.C.

(111)

23. एम0डी0ओ0 खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

24. एम0डी0ओ0, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

25. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथातथा एम0डी0ओ0 को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

26. एम0डी0ओ0, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

27. एम0डी0ओ0, खनन से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हे प्रस्तुत करेगा।

एम0डी0ओ0, नीचे दिए गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व निगम के संबंधित संभागीय/उप कार्यालय एवं कलक्टर को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गए खनिज का प्रारंभिक स्टॉक	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा	माह में स्टॉकमें अंतरित किए गए खनिज की मात्रा	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

28. एम0डी0ओ0, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं निगम के संबंधित संभागीय/उप कार्यालय को देगा।

29. एम0डी0ओ0, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता, वैधानिक अनुमतियां प्राप्त न होने अथवा समुचित निविदत्त मात्रा हेतु वैधानिक अनुमति उपलब्ध न होने तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में निगम/कलेक्टर के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

30. **ई-ट्रांजिट पास की अनिवार्यता:-**

पूरन लाल लदावकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि
जिला कार्यालय-बालाघाट

कलेक्टर
बालाघाट

निगम द्वारा प्रदेश में रेत खनिज के ठेकों के संचालन हेतु मैप आईटी के माध्यम से रेत पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। खदान से रेत का परिवहन बिना ई-ट्रांजिट पास के नहीं किया जावेगा। एम0डी0ओ0 को वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार ही ई-ट्रांजिट पास जारी किये जावेगे। प्रत्येक वाहन जो कि खनिज विभाग से खनिज परिवहन हेतु पंजीकृत है, के साथ तथा प्रत्येक ट्रिप हेतु नियमानुसार वैध ई-ट्रांजिट पास जारी करना अनिवार्य है। ई-ट्रांजिट पास एम0डी0ओ0 के अधिकृत कर्मचारी द्वारा जारी किया जावेगा। एम0डी0ओ0 का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वाहन/ट्रिप के लिये ई-ट्रांजिट पास जारी करावें। इस संबंध में अनियमितता बरतने पर एम0डी0ओ0 को ठेका समाप्त करने संबंधी कारण बताओं नोटिस दिया जावेगा तथा बोलीकर्ता की सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा राशि जप्त कर ली जावेगी।

31. **<u>परिवहन की व्यवस्था:-</u>**

एम0डी0ओ0 को खदान पहुंच मार्ग, कच्चा पुल आदि का निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। यदि पहुंच मार्ग में कोई निजी/शासकीय भूमि आती है तो उसका प्रबंध बोलीकर्ता को स्वयं के व्यय पर ही करना होगा। एम0डी0ओ0 को उसे आवंटित क्षेत्र में रात्रि में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।

32. जीपीएस/Vehicle location tracking device/विहित अनुसार समकक्ष तकनीकी यंत्र स्थापित वाहनों से रेत का परिवहन किया जाना एवं खदान पर निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन्स के सी.सी.टी.वी. केमरा स्थापित किया जाना, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात अनिवार्य होगा।

33. **<u>ठेके के दौरान राज्य शासन/निगम के निर्देश आदि -</u>**

राज्य शासन/प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम ठेका कार्य प्रारंभ होने के पूर्वएवं ठेके की अवधि के दौरान किन्ही अन्य व्यवहारिक शर्तो का समावेश करने तथा कार्यपालिक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगें, जो एम0डी0ओ0 के लिये बंधनकारी होगा। ठेके की शर्तो की व्याख्या का अधिकार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम का होगाएवं उनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

34. निजी भूमि पर उपलब्ध रेत खनिज का निवर्तन अनुबंधित एम0डी0ओ0 द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय - 8 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

35. रेत खनिज के भण्डारण हेतु मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय -9 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

36. समूह का ठेका निरस्त अथवा समर्पित होने की स्थिति में एवं समूह में विधिमान्य एम0डी0ओ0 नियुक्त न होने की स्थिति में, रिक्त समूह की अंतिम स्वीकृत दर अथवा रिक्त समूह के जिले में स्वीकृत अन्य ठेको की उच्चतम दर पर उक्त उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 को अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध तक, जो भी कम हो, की अवधि हेतु सहमति के आधार पर संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दी जाने की स्थिति में द्वितीय उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 का समूह संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। यही प्रक्रिया तृतीय एवं आगामी क्रम के एम0डी0ओ0 के लिये भी अपनाई जायेगी।

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

बालाघाट

(113)

उदाहरणार्थ:- जिले में गठित समूह- क, ख, ग, घ

रिक्त समूह - ख

उच्चतम स्वीकृत निविदा दर वाले जिले (घटते क्रम में) - ग, ख, क, घ

रिक्त समूह आवंटन की दर - समूह 'ग' की दर के समतुल्य

समूह संचालन हेतु प्रथम आमंत्रण - समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 को

समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय आमंत्रण - समूह 'क' के एम0डी0ओ0 को

समूह 'क' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय आमंत्रण - समूह'घ' के एम0डी0ओ0 को

परन्तु रिक्त समूह के जिले में अन्य ठेका स्वीकृत न होने पर, रिक्त समूह के जिले अथवा समूह के जिले की भौगोलिक सीमा से लगे हुए यथा विहित जिले के समूहों की उच्चतम दर पर, उक्त उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले अनुबंधित एम0डी0ओ0 को, अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध, जो भी कम हो, की अवधि हेतु संचालन हेतु सहमति के आधार पर आवंटित किया जा सकेगा। उक्त एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने पर उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया से जिले की सीमा से लगे हुये अन्य जिले के एम0डी0ओ0 को आवंटन किया जावेगा।

37. यदि किसी खदान से उत्खनन की गई सामग्री का विक्रय केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश द्वारा रोका जाता है तो इस कारण उपगत किसी हानि के लिये राज्य सरकार, निगम जिम्मेदार नहीं होंगे।

38. राज्य सरकार द्वारा खदान समूह या किसी समूह में शामिल खदान विशेष से संबंधित समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश का एम0डी0ओ0 पालन करेगा।

39. अनुबंध पर स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय होगा।

40. <u>प्रयोजन -</u>
एम0डी0ओ0, उस प्रयोजन से, जिसके लिये उसको ठेका दिया गया है, से भिन्न प्रयोजन के लिये दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

41. <u>छूट-</u> नियम-4 अनुसार रियायत की पात्रता रहेगी।

42. <u>आदेशों के पालन में क्षतिपूर्ति अमान्य -</u>
निविदा के संबंध में किसी भी न्यायालयीन आदेश, स्थगन आदेश, यथा स्थिति आदेश, अथवा अन्य कोई अंतरित आदेश एवं कंडिका 33 के अनुसार जारी आदेश आदि के परिप्रेक्ष्य में एम0डी0ओ0 द्वारा क्लेम की गई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जावेगी।

पूरन लाल लश्कार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

~~80~~ (114)

43. **कब्जे का पुनर्ग्रहण:-**

(क) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का
लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खनन मंजूर
की गई हो, समाप्त हो जाती है, तो एम0डी0ओ0, रेत खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत
खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में
कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान
के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(ख) जहां एम0डी0ओ0 रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि के
भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की
तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति एम0डी0ओ0 को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के
सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार
के स्थान के किसी सहजदृश्य पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां एम0डी0ओ0
निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगा या करवाएगा।

(ग) उप-खण्ड (ख) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि एम0डी0ओ0, रेत
खदानखदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(घ) जहां एम0डी0ओ0, उप-खण्ड (ख) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत
खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलक्टर या उप-खण्ड (क) के अधीन उसके
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, एम0डी0ओ0 से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए
ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(ङ) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर, एम0डी0ओ0, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में
असफल रहता है तो एम0डी0ओ0, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन
करेगा।

44. यदि एम0डी0ओ0, अनुबंध की शर्तों का उल्लघन करता है, तो निगम को एम0डी0ओ0 द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को समपहत करने का अधिकार होगा। ठेका निरस्त करने की दशा में एमडीओ द्वारा जमा की गई.सुरक्षा राशि राजसात करते ही जा सकेगी एवं एमडीओ से वसूली योग्य राशि जमा करने हेतु उसे सूचित किया जावेगा। एमडीओ द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में राशि जमा न करने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली उसके विरूद्ध न्यायालयीन वाद दायर कर अथवा कर भू-राजस्व बकाया की वसूली के रूप में की जा सकेगी।

45. एम0डी0ओ0, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

46. ई-निविदा सह नीलामी सूचना, ई निविदा सह नीलामी प्रपत्र, अनुबंध रेत नियम मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

47. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टक्रमित किया जाता है, कि यदि, एम0डी0ओ0 उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम (रूपए

115

19,01,80,808/-) जो कि एम0डी0ओ0 द्वारा जमा की गई है निगम द्वारा उसे वापिस कर दी जाएगी। एम0डी0ओ0 के कन्सॉरशियम होने की स्थिति में सुरक्षा राशि एस0पी0वी0 को उपरोक्तानुसार वापिस की जायेगी। सुरक्षा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

48. **अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure):-**

यदि किसी अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure) जो बोलीकर्ता के नियंत्रण से परे हो तथा इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि बोलीकर्ता द्वारा ऐसी घटना या परिस्थिति के होते हुए भी उन्हें रोकने, हटाने या टालने के पर्याप्त प्रयास किये गये हों ताकि कार्य निरंतर चलता रहे, के कारण कार्य बाधित हो तो समयावधि तक बोलीकर्ता के सभी दायित्व स्थगित रखे जायेंगे। बोलीकर्ता ऐसी घटना या परिस्थिति की विस्तृत जानकारी उसके उत्पन्न होने के पूर्व या 7 दिवस के भीतर, जैसा भी संभव हो पर्याप्त साक्ष्य सहित निगम को देगा तथा कारण (अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति) के समाप्त होने पर निगम को सूचित करते हुये कार्य पुनः प्रारंभ करेगा। निगम द्वारा वांछित तथा तदानुसार बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी, साक्ष्य तथा दस्तावेज के आधार पर प्रबंध संचालक द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

यहाँ पर अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति से अभिप्रेत है:- दैवीय प्रकोप जैसे बाढ़, महामारी, भूकम्प तथा अकाल इत्यादि तथा अनपेक्षित घटना यथा आम हड़ताल, कफ्र्यू, उपद्रव, आगजनी, दंगा तथा शासन द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक धारायें, नियम आदेश या उदघोषण में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन आदि।

49. **विवादों का निपटरा:-**

निगम एवं बोलीकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध से संबंधित किसी विवाद के निराकरण हेतु विवाद उत्पन्न होने के सात दिवसों के भीतर बोलीकर्ता द्वारा निगम के प्रबंध संचालक को औपचारिक रूप से लिखित में विवाद का सारभूत अधिसूचित किया जावेगा। अधिसूचित करने के तीस दिवस के भीतर निगम के प्रबंध संचालक संबंधित पक्षों की सुनवाई कर इसका निराकरण कर सकेंगे। यदि निगम के प्रबंध संचालक 30 दिवस में उन्हें संदर्भित किये गये विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तब ऐसी स्थिति में या बोलीकर्ता प्रबंध संचालक द्वारा निर्णीत समाधान से संतुष्ट न हो तो आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के तहत मध्य प्रदेश मध्यस्थता केन्द्र (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) नियम, 2019 अनुसार विवाद का निपटारा किया जावेगा।

50. **विवाद का अधिकार क्षेत्र :-**

समस्त वैधानिक विवाद भोपाल न्यायालय के अधीन होंगे ।

अनुसूची-क

(पैरा 1 देखिए)

क्र.	जिला	तहसील	समूह का नाम	ग्राम जहां खदान स्थित है)	खसरा क्रमांक	रकबा (है.में)

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ सहायक (सामान्य)

रमेश टुले

82 (116)

1	2	3	4	5	6	7
1	बालाघाट	कटंगी	बालाघाट	वाहकल	01 भाग, 231 भाग	3.239
2	बालाघाट	कटंगी	बालाघाट	कलगांव	185	2.500
3	बालाघाट	कटंगी	बालाघाट	जरामोहगांव	457	4.300
4	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	पानगांव	547	3.000
5	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	केशा	164	4.500
6	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	चिनोरा	01&46भाग	6.318
7	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	कडकना	245	7.229
8	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	सेवती	258	8.788
9	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	मुण्डेसर्रा	529/1	15.430
10	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	चिचोली	387	1.458
11	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	टुय्यापार	583	1.012
12	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	घोटी	1/1.	2.900
13	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	लावनी	473	1.822
14	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	चुटिया	251	4.500
15	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	गजपुर	208	4.900
16	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	गुनई	12	4.500
17	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	अतरी	455	4.000
18	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	बकोडी	1	4.500
19	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	टेमनी	332/1	4.500
20	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	चिचगाव	5	4.806

पूरन लाल लखेश्वार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि
जिला कार्यालय-बालाघाट

~~83~~ (117)

21	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	भोरगढ़	457/1	4.950
22	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	भिचोली	463	4.990
23	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	खैरी	854	4.000
24	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	गोवाड	209/1	4.202
25	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	सालरी	795	4.920
26	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	हरदोली	456	4.480
27	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	बम्हनी	418/1/1	3.402
28	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	बोनकट्टा	443/1, 443/2	4.750
29	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	कोडबी	285	4.960
30	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	ठाकुरटोला	125	1.000
31	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	भालेवाडा	207 भाग	1.944
32	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	मगरदर्रा	01 भाग	1.000
33	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	कुकडा	258 भाग	2.000
34	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बरखों	22	3.150
35	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	भमोड़ी	1/1.	1.328
36	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बरखेडा	45	3.220
37	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	रोशना	1	4.500
38	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	धापेवाडा	144	3.000
39	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	भटेरा	14 /1	7.000

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि
जिला कार्यालय-बालाघाट

रमेश दुबे

T.C

कलेक्टर
बालाघाट

(118)

84

40	बालाघाट	वैहर	बालाघाट	लघुकन्हार	7/1.	2.000
41	बालाघाट	लांजी	बालाघाट	परसोडी	220/1	4.900
42	बालाघाट	लांजी	बालाघाट	कोचेवाही	702	3.000
43	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	राल्हे	1	1.011
44	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	धपेरा	957	2.000
45	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	कौडिया	117	4.292
46	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	ददिया	397	4.900
47	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	छिंदलई	24/1	4.500
48	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	खापा	345/1	1.458
49	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	जागपुर	75	8.565
50	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	कौलीवाडा	735	3.500
51	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	बासी	1	3.800
52	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सिवनी	442/1	4.000
53	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सावंगी	625	4.000
54	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	चंदौरी	21	4.500
55	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	दिनी	346	4.900
56	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	गट्टापायली	434	3.800
57	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	मेहंदीवाडा	326	4.800
58	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	पूनी	231/1	4.900
59	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	पूनी	231/1	4.500
60	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	जागपुर	75	2.000
61	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सिंगोडी	650	8.396

पूरन लाल लशकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

(149)

62	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	[illegible] 85	706	7.750
43	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सरंण्डी	574	10.000
64	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	रामपायली	1014	8.869
65	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	कंजमटोला	255	12.416
						291.755

कलक्टर / प्रतिहस्ताक्षर
बालाघाट
जिला ....

(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. Suresh kumar kulaste MI Balaghat
सुरेश कुमार कुलस्ते

2. ....खनि निरीक्षक............
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम, द्वारा नामित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

जिला ....बालाघाट

(मुहर)

पूरन लाल लक्षाकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (ताम्र)
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. Anurag Tiwari

2. ASKPT3338E Pan card

रमेश दुबे

एम0डी0ओ0 का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. Bhupendra Chauhan

2. 7242 7574 9250 Aadhar

T.C

कलेक्टर
बालाघाट

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** बालाघाट **P.S. (थाना):** खैरलॉजी

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0256 **Year (वर्ष):** 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 30/08/2025 18:19 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(5)
3	खान अधिनियम, 1952	4
4	खान अधिनियम, 1952	21
5	मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996	53(1)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** दरमियानी दिन
   Date From (दिनांक से): 02/05/2024
   Date To (दिनांक तक): 13/12/2024
   Time Period (समय अवधि):
   Time From (समय से): 06:00 बजे
   Time To (समय तक): 18:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/08/2025
Time (समय): 17:56 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 015
Date & Time (दिनांक और समय): 30/08/2025 18:05

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

District

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):दक्षिण, 16 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): स्वीकृत रेत घाट ,ग्राम चिचोली मोवाड

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): खनिज निरीक्षक सुरेश कुमार कुलस्ते कि ओर से कार्य प्रआर नवनीत कुमरे

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1985 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना खैरलांजी ,खैरलॉजी,बालाघाट,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	थाना खैरलांजी ,खैरलॉजी,बालाघाट,मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय): पुलिस अधिकारी

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9424925422

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रमेश दुवे /RAMESH			1. वार्ड नं 15,बैहर रोड,बालाघाट, बालाघाट कोतवाली,बालाघाट,

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

	DHUBE				मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
कम्प्यूटर आवेदन पेश करने पर

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	अन्य	अन्य परिवहन	आरोपी द्वारा स्वीकृत रेत खदान से अवैध रूप उत्खन्न करना	7,65,00,000.00

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):** 7,65,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मै थाना खैरलांजी मे थाना एचसीएम के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 30.08.2025 को आवेदक खनिज निरीक्षक सुरेश कुमार कुलस्ते पिता श्री नामूसिंह कुलस्ते उम्र 38 निवासी कार्या. कलेक्टर (खनिज शाखा जिला बालाघाट) द्वारा एक लिखित कम्प्यूटर टाईपिंग आवेदन पत्र पेश किया जिसमे आरोपी रमेश दुबे निवासी वार्ड नं.15 बैहर रोड बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा स्वीकृत रेत खदान से अवैध रूप उत्खन्न करने के संबंध में आवेदन पेश किया आवेदन का अवलोकन पर थाना खैरलांजी के लोकल शिकायत रजिस्टर क्रं. 242/2025, दिनांक 30.08.2025 पर दर्ज कर आरोपी रमेश दुबे निवासी वार्ड नं.15 बैहर रोड बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) के विरूध्द प्रथम दृष्टया धारा 303(2), 317(5) BNS, 4/21 खान खनिज अधि 1952, 53 (1) म.प्र. गौड़ खनिज नियम 1996 का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीवध्द कर विवेचना मे लिया गया। आवेदन पत्र नकल जेल है- प्रति, थाना प्रभारी थाना खैरलांजी, जिला-बालाघाट (म.प्र.) विपय :- ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत रेत खदान में मान. एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 की जच टीप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत क्षेत्र के बाहर क्षेत्र खनिज रेत का अवैध उत्खननकर्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने बावत्। संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 660 दिनांक 28.08.2025 00--उपरोक्त विषयांयतर्गत संदर्भित आदेश के पालन में लेख है कि ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में तत्समय दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 13.12.2024 के मध्य एम.डी.ओ. मेसर्स आर.जी.ऐसोसियेट को स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र से बाहर क्षेत्र में अवैध उत्खनन किये जाने बावत् मान. एन.जी.टी. सेंट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 1262/2024, में दिनांक 20.11.2024 द्वारा पारित आदेश अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त शिकायत का दिनांक 13.12.2024 को निरीक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा संयुक्त जच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई प्रस्तुत रिपोर्ट निम्नानुसार आरोप आक्षेपित किये गये जो निम्नानुसार है : -1.The geo-cordinate given in mining plan and the physical pillars co-ordinate as recorded during field visit were mapped on the Google Earth Software and found that the area where the Mine Developer Operator (MDO) has crected mine pillars is not as per the mine lease area recorded in Mining plan Environmental clearance. 2 The geo-graphical location of the actual mine boundary as per approved mine plan and the boundary found defined during the field visit is as .) tabulated below.

Boundary PointsGeo-coordinates of the mine lease in chicholi as per approved mine PlanGeo-coordinates of the pillars found erected during field visit onLatitudeLongitudeLatitudeLongitudeA213151.33N795207.01E213152.56N795231.26EB213153.54N795155.78E213147.53N795229.79 EC213148.75N795154.73E213146.80N795215.28ED213140.90N795206.13E213151.11N795215.77 E3. On the day of field visit i.e. 13.12.2024, it was clearly evident that apart from the mining in the site at which pillars have been erected, mining has also been done in the area coordinates as given in the mine plan and it seems efforts have been made before 1-2 days to level this lease area by using machinery to hide the mining signs. The marks of tractor other vehicles tyres were clearly visible during site visit. The committee asked to Sh Khushil Kumar Muhaare, Patwari, Muvaad (Additional Charge of Chicholi village) to carry out a tentative measurement of the area wherein excavation was carried out as claimed by the villagers. The measurement states that on the bank, the average height of the sand bed was observed 1.67 m varying from 1 to 3 m. The levelled area upto the bank was spread in average width of 120 m and in the total length of 510 M. उक्तानुसार ग्राम चिचौली तह. खैरलाजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के बाहर बिन्दु क्रमांक 03 अनुसार एम.डी.ओ. द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है, जो कि जच टीम के माप अनुसार लंबाई लगभग 510 मी., चौड़ाई लगभग 120 मी. एवं औसतन गहराई 01 मी. होना पाया गया, अवैध उत्खनित खनिज रेत की कुल मात्रा 61200 घ.मी. होता है। उक्त के संबंध में एम.डी.ओ. को कारण बताओं सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक 614 दिनांक 08.08.2025 को जारी किया गया था। कारण बताओं सूचना पत्र का जबाव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जबाव प्रस्तुत न किये जाने के कारण एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 660 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार एम.डी.ओ. के द्वारा किया गया उक्त कृत्य म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम) 2022 के उपनियम के नियम 18 के प्रावधानों के उल्ल् घन होने के कारण अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीवद्ध किया गया है। कुल उत्खनित खनिज रेत की रायल्टी राशि रू. 76,50,000.00 प्रथम दृष्टया शासन की राजस्व की चोरी मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटस (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुवे निवासी- वार्ड नं.15 बैहर रोड जिला वालाघाट (म.प्र.) द्वारा किया जाना प्रतीत होता है। अतः संदर्भित पत्र अनुसार अवैध उत्खननकर्ता मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटस (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुवे निवासी- वार्ड नं.15 वैहर रोड जिला वालाघाट (म.प्र.) के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर अंग्रेजी मे अपस्ट खनि निरीक्षक जिला-बालाघाट (म.प्र.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है ।) or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): CHANDRA SHEKHAR CHOUDHARY
No.(सं.): 626
Rank (पद): OFFICIATING ASST SUB INSPECTOR
to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): NAVNEET KUMRE

Rank (पद): प्रधान आरक्षक-कार्यवाहक

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):RAM SINGH PATEL
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 11

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुप					

Deformities/	Teeth	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

PS खैरलांजी प्र.क्र. 242/2025 दि 30/08/2025

प्रति,

थाना प्रभारी
थाना खैरलांजी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक **463** रकबा **4.990** हे. क्षेत्र पर स्वीकृत रेत खदान में मान. एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक **1262/2024** की जॉच टीप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत क्षेत्र के बाहर क्षेत्र खनिज रेत का अवैध उत्खननकर्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने बावत्।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक **660** दिनांक **28.08.2025**

--00—

उपरोक्त विषयांयतर्गत संदर्भित आदेश के पालन में लेख है कि ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक **463** रकबा **4.990** हे. क्षेत्र में तत्समय दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 13.12.2024 के मध्य एम.डी.ओ. मेसर्स आर.जी.ऐसोसियेट को स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र से बाहर क्षेत्र में अवैध उत्खनन किये जाने वावत् मान. एन.जी.टी. सेंट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक **1262/2024**, में दिनांक **20.11.2024** द्वारा पारित आदेश अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त शिकायत का दिनांक **13.12.2024** को निरीक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा संयुक्त जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट निम्नानुसार आरोप आक्षेपित किये गये। जो निम्नानुसार है :-1.The geo-cordinate given in mining plan and the physical pillars' co-ordinate as recorded during field visit were mapped on the Google Earth Software and found that the area where the Mine Developer Operator (MDO) has erected mine pillars is not as per the mine lease area recorded in Mining plan & Environmental clearance. 2& The geo-graphical location of the actual mine boundary as per approved mine plan and the boundary found defined during the field visit is as .) tabulated below.

Boundary Points	**Geo-coordinates of the mine lease in chicholi as per approved mine Plan**		**Geo-coordinates of the pillars found erected during field visit on**	
	Latitude	**Longitude**	**Latitude**	**Longitude**
A	21°31'51.33"N	79°52'07.01'E	21°31'52.56″N	79°52′31.26°E
B	21'31'53.54″N	79°51'55.78"E	21°31'47.53″N	79°52′29.79 E
C	21°31'48.75"N	79°51'54.73"E	21'31'46.80″N	79°52'15.28"E
D	21°31'46.96″N	79°52'06.13"E	21°31'51.11″N	79°52′15.77 E

3. On the day of field visit i.e. 13.12.2024, it was clearly evident that apart from the mining in the site at which pillars have been erected, mining has also been done in the area coordinates as given in the mine plan and it seems efforts have been made before 1-2 days to level this lease area by using machinery to hide the mining signs. The marks of tractor & other vehicles tyres were clearly visible during site visit. The committee asked to Sh Khushil Kumar Muhaare, Patwari, Muvaad (Additional Charge of Chicholi village) to carry out a tentative measurement of the area wherein excavation was carried out as claimed by the villagers. The measurement

states that on the bank, the average height of the sand bed was observed 1.67 m varying from 1 to 5 m. The levelled area upto the bank was spread in average width of 120 m and in the total length of 510 M.

उक्तानुसार ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक **463** रकबा **4.990** हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के बाहर बिन्दु क्रमांक **03** अनुसार एम.डी.ओ. द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है, जो कि जॉच टीम के माप अनुसार लंबाई लगभग **510** मी., चौड़ाई लगभग **120** मी. एवं औसतन गहराई **01** मी. होना पाया गया, अवैध उत्खनित खनिज रेत की कुल मात्रा **61200** घ.मी. होता है। उक्त के संबंध में एम.डी.ओ. को कारण बताओं सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक **614** दिनांक **08.08.2025** को जारी किया गया था। कारण बताओं सूचना पत्र का जबाव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जबाव प्रस्तुत न किये जाने के कारण एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक **660** दिनांक **28.08.2025** के अनुसार एम.डी.ओ. के द्वारा किया गया उक्त कृत्य म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम) **2022** के उपनियम के नियम **18** के प्रावधानों के उल्लंघन होने के कारण अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कुल उत्खनित खनिज रेत की रायल्टी राशि रू. **76,50,000.00** प्रथम दृष्टया शासन की राजस्व की चोरी मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटस (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे निवासी- वार्ड नं.15 बैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा किया जाना प्रतीत होता है।

अतः संदर्भित पत्र अनुसार अवैध उत्खननकर्ता मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटस (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे निवासी- वार्ड नं.15 बैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.) के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

30/08/25
खनि निरीक्षक
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail - modgmbal@mp.gov.in

//कारण बताओ नोटिस//

कमांक/614/खनिज/2025 बालाघाट दिनांक 8/08/2025

प्रति,

मेसर्स आर.जी. एण्ड
एसोसियेटस
(माइन डेवलपर कम ऑपरेटर)
अधिकृत श्री रमेश दुबे
निवासी– वार्ड नं. 15 बैहर रोड
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एन.जी.टी.) सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली मे प्रचलित प्रकरण कमांक 1262/2024 की जांच हेतु गठित Joint Committee द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार पाई गई अनियमियत्ताओ के संबंध मे।

संदर्भ :– माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एन.जी.टी.) सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली मे प्रचलित प्रकरण कमांक 1262/2024 की जांच हेतु गठित Joint Committee द्वारा प्रस्तुत रिपोट दिनांक 21.12.2024।

—::::::::::::::::::000::::::::::::::::::—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण कमांक 1262/2024 मे दिनांक 20.11.2024 द्वारा पारित आदेश अनुसार, जिला कलेक्टर बालाघाट, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित सदस्य, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा नामित सदस्य तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के नामित सदस्य की संयुक्त समिति का गठन किया गया। गठित संयुक्त समिति द्वारा शिकायती क्षेत्र का दिनांक 13.12.2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त संयुक्त जांच रिपोर्ट माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार शिकायती क्षेत्र मे निम्न बिन्दु अनुसार अरोप आक्षेपित किये गये है जो निम्नानुसार है–

1– The geo-cordinate given in mining plan and the physical pillars' co-ordinate as recorded during field visit were mapped on the Google Earth Software and found that the area where the Mine Developer Operator (MDO) has crected mine pillars is not as per the mine lease area recorded in Mining plan & Environmental clearance.

2– The geo-graphical location of the actual mine boundary as per approved mine plan and the boundary found defined during the field visit is as .) tabulated below.

Boundary Points	Geo-coordinates of the mine lease in chicholi as per approved mine Plan		Geo-coordinates of the pillars found erected during field visit on	
	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude
A	21°31'51.33"N	79°52'07.01'E	21°31'52.56"N	79°52'31.26°E
B	21'31'53.54"N	79°51'55.78"E	21°31'47.53"N	79°52'29.79 E
C	21°31'48.75"N	79°51'54.73"E	21'31'46.80"N	79°52'15.28"E
D	21°31'46.96"N	79°52'06.13"E	21°31'51.11"N	79°52'15.77 E

3– On the day of field visit i.e. 13.12.2024, it was clearly evident that apart from the mining in the site at which pillars have been erected, mining has also been done in the area coordinates as given in the mine plan and it seems efforts have been made before 1-2 days to level this lease area by using machinery to hide the mining signs. The marks of tractor & other vehicles tyres were clearly visible during site visit. The committee asked to Sh Khushil Kumar Muhaare, Patwari, Muvaad (Additional Charge of Chicholi village) to carry out a tentative measurement of the area wherein excavation was carried out as claimed by the villagers. The measurement states that on the bank, the average height of the sand bed was observed 1.67 m varying from 1 to 3 m. The levelled area upto the bank was spread in average width of 120 m and in the total length of 510 m.

4— The villagers have made the complaint of illegal excavation at the site co-ordinates given under the mine plan. Therefore, it seems that the mining has been carried out in both these areas, i.e. mine lease area and the area which is about 250 meters away from actual mine lease boundary. Both these areas are shown in the Google Earth satellite imagery of year 2021.

5— Status of sand mining at Chicholi village

(a) Village Chicholi is located on the left bank of river Bawanthadi. Earlier, the sand mining contract was awarded by MP State Mining Corporation Ltd to M/s Rajesh Pathak (Contactor) from 30.5.2020 to 30.6.2023 for total 67 mine leases of total 324.697 Ha area of Balaghat District. Out of these 67 mine leases, 08 (Kodbi, Bamhani, Bonkatta, Hardoli, Tuiyapar, Chicholi, Chicholi-II and Mowad) were on river Bawanthadi. The mine lease of 4.99 Ha on Khasra no. 463 (of total arca 49.388 Ha) at village Chicholi is one of the 08 mine leases on Bawanthadi river.

(b) Further, MP State Mine Corporation Ltd, through e-tender dated 5.2.2023 selected successful bidder. M/s Shri Ramesh Prasad Dubey and Shri Girish Pathak (M/s RG Associates Consortium) was selected as successful bidder and regarding this an Information letter was issued on 3.5.2024 by the Corporation for mining in 65 sand mines for annual mining of 15 Lacs m³ sand. Copy of the Letter of Intimation (LOI) & Information letter dated 4.9.2023 and 3.5.2024

This contract includes the mine lease of 4.99 Ha at Khasra no. 463 (Out of total area 49.388 Ha) of village Chicholi. The complainant has raised issued of illegal sand mining on this mine lease of village Chicholi.

6- Recommendation

Based on the field observation made by the joint committee it is recommended that.
SEIAA shall put the Environmental Clearance in abeyance till the procedural corrections made. Environmental Clerance shall be revised with site specific findings.

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओ से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 मे निहित प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम अध्याय–पांच नियम 18 का उल्लघंन किया जाना पाया गया है। क्यो न उक्त नियम के तहत् आपके विरूद्ध अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि अधिरोपित किया जावे। उपरोक्त के संबंध मे अपना समाधान कारक जवाब 15 दिवस के भीतर समक्ष/कार्यालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति मे नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

08/08/2025
प्रभारी अधिकारी
खनिज शाखा बालाघाट

पृ. कमांक/614 A/खनिज/2025 बालाघाट दिनांक 8/08/2025

प्रतिलिपि–

1— प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमि. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2— संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स खनिज भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3— सदस्य सचिव, स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असिसमेंट अथॉरिटी (सीया) पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी भोपाल की ओर सूचनार्थ।

4— क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं. 5, प्लाट नं. 455/456, विजय नगर जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

5— कनिष्ठ प्रबंधक, पूरनलाल लक्ष्यकार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमि. जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

08/08/2025
प्रभारी अधिकारी
खनिज शाखा बालाघाट